[2021] 3 एस. सी. आर. 193

महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन)

विभाग) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत

वी.

मेसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर और ठेकेदार

पीवीटी। लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 995)

19 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन, बी. आर. गवई और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 37- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015- अपील योग्य आदेश-दाखिल करने के लिए सीमा अवधि

अपील-यू/एस के तहत अपील दायर करने में देरी की निंदा। 37 - आयोजित किया गया: त्वरित निपटान के उद्देश्य को दोनों के तहत प्राप्त करने की कोशिश की जाती है

यू/एस द्वारा दायर अपीलों के लिए मध्यस्थता अधिनियम और सी. सी. अधिनियम। 37 1996 के अधिनियम जो कला द्वारा शासित हैं, सीमा के 116 और 117 अधिनियम या एस। 13 (1ए) सी. सी. अधिनियम की धाराएँ। 13 (1ए) सी. सी. अधिनियम की सभी अपीलों के लिए समान रूप से 60 दिनों की सीमा की अवधि निर्धारित करता है जो हैं -

पसंदीदा यू / अधिनियम की धारा 37-क्रमशः 90 दिन, 30 दिन या 60 दिन से अधिक की देरी को अपवाद के रूप में माफ किया जाना चाहिए न कि नियम के माध्यम से-ऐसे उपयुक्त मामले में जिसमें किसी पक्ष ने ईमानदारी से काम किया हो।

और लापरवाही से नहीं, एक छोटी सी देरी को माफ किया जा सकता है-अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" अपील प्रावधान द्वारा प्रदान की गई अवधि से परे लंबी देरी को कवर करने के लिए पर्याप्त लोचदार नहीं है-सीमा अधिनियम, 1963-कला। 116 और 117।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 5- एस का अनुप्रयोग। 5 , अपील करने के लिए यू /

एस. 37 जहाँ सी. सी. अधिनियम के अर्थ के भीतर निर्दिष्ट मूल्य है 3 लाख से कम, कला द्वारा नियंत्रित होते हैं। 116 और 117-कला। 116 और सीमा अधिनियम की धारा 117 में 90 दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान है।

और 30 दिनों के लिए, किसी उच्च न्यायालय में या किसी अंतर-उच्च न्यायालय अपील के लिए-इस प्रकार। 5 सीमा अधिनियम उक्त पर लागू होगा

अपील, दोनों एस के आधार पर। 43 1996 के अधिनियम और धारा। 29 (2) सीमा अधिनियम-कला। 116 , 117 , एस. 29 (2) – वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015।

एस. 5- यू/एस की अपीलों के लिए आवेदन। 13 (1ए) सी. सी. अधिनियम की एक समान 60-दिवसीय सीमा अवधि प्रदान करती है-आयोजितः एक मध्य।

एन. वी. इंटरनेशनल के मामले के बीच अपनाया जाने वाला पाठ्यक्रम जो 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की अनुमति नहीं देता है, और एक खुला प्रावधान जिसमें देरी की किसी भी राशि को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो-मैक्सिम उट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट-उदार निर्माण को लिखित उपकरणों पर रखा जाना चाहिए, जिसका पालन किया जाना चाहिए-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015।

भारत का संविधान-कला। 141 - बाध्यकारी पूर्ववर्ती-एन. वी.

अंतर्राष्ट्रीय बनाम। असम राज्य के मामले में एस के प्रावधान लागू किए गए। 5

सीमा अधिनियम और यह अभिनिर्धारित किया कि विलंब की कोई क्षमा 120 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है-क्या एन. वी. इंटरनेशनल के मामले में इस न्यायालय द्वारा लागू कठोर और तेज़ नियम कानून में सही है-अभिनिर्धारित किया गया: दाखिल करने के लिए सीमा अवधि निर्धारित करते समय एन. वी. इंटरनेशनल का मामला

यू/एस से अपील करें। 37 सी. सी. अधिनियम के प्रावधानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस गिनती पर प्रति अनुमान कहा जा सकता है-90 दिनों और 30 दिनों की अवधि और उसके बाद एस में उल्लेख नहीं किया गया है। 34 (3) 1996 के अधिनियम का अब लागू नहीं हो सकता है, सीसी अधिनियम के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 60 दिन है न कि 90 दिन इस प्रकार, एन. वी. इंटरनेशनल के मामले का गलत निर्णय लिया गया है और इसे खारिज कर दिया गया है-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. 37 और 34 (3)

–

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1.1 एक मध्यस्थ प्रक्रिया की आवश्यकता जो

कुशल है और मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने से निश्चित रूप से पता चलेगा कि मुख्य में से एक

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का त्वरित निपटान करना है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 महत्वपूर्ण है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37, जब इसकी धारा 43 के साथ पढ़ी जाती है, तो यह स्पष्ट करता है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 37 के तहत दायर अपीलों पर लागू होंगे। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 में 90

दिनों और 30 दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अपील किसी अन्य न्यायालय से उच्च न्यायालय में है या अंतर-उच्च न्यायालय अपील। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उक्त अपीलों पर लागू होगी।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 और सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) दोनों के आधार पर। [पैरा 15,23] [210-डी-ई; 222 सी-ई] जीओवीटी।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd.

समेकित अंग्रेज़ी। उद्यम बनाम। सिंचाई विभाग।

(2008) 7 एससीसी 169: [2008] 5 एस. सी. आर. 1108-पर निर्भर।
1.2 जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 लागू किया जाता है

"विनिर्दिष्ट मूल्य" की परिभाषा और उसकी धारा 10 और 13 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी होगा जब विनिर्दिष्ट मूल्य तीन लाख रुपये से कम राशि के लिए हो कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में निहित अपीलीय प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शासित होगाः

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 द्वारा सीमा। यह निवेदन कि किस अदालत के आधार पर कोई मामला तय होता है, 30 या 90 दिनों की एक सीमा अवधि प्रदान की जाती है, जिससे मनमाने परिणाम मिलते हैं, और इसलिए, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई समान अवधि को नियंत्रित करना चाहिए।

अपील भी खारिज कर दी जाती है। यह तय किया जाता है कि सीमा की अवधि हमेशा कुछ हद तक मनमाना होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है कि उनका सख्ती से पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण कि चूंकि कोई सीमा की अवधि नहीं है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों, अपीलों और आवेदनों में निहित विभिन्न मामलों के सीमा अधिनियम में निहित स्पष्ट विभाजन को किसी तरह नष्ट करना होगा, "अपील" शब्द को "आवेदनों" में पढ़ना होगा ताकि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को लागू किया जा सके।

आवेदन करें, अस्वीकार भी कर दिया जाता है। [पैरा 24,25] [224-ई-जी; 225-डी-ई]

बूटा माल बनाम। भारत संघ [1963] 1 एससीआर 70

संदर्भित किया गया।

1.3 यहां तक कि दुर्लभ स्थिति में भी जिसके तहत एक अपील की जाती है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 का निर्दिष्ट मूल्य तीन लाख रुपये से कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 या 117 को लागू किया जाएगा, मध्यस्थता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवादों के त्वरित समाधान की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा जब सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए दायर किए जाते हैं।

और/या 30 दिन इस बात पर निर्भर करते हैं कि अनुच्छेद 116 (ए) या 116 (बी) या 117 लागू होता है या नहीं। वास्तव में, समय-सीमा को देखते हुए

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8,9 (2), 11 (4), 11 (13), 13 (2)-(5), 29 ए, 29 बी, 33 (3)-(5) और 34 (3) में त्वरित समाधान का उद्देश्य है। विवाद अनुच्छेद 116 द्वारा कवर की गई अपीलों को नियंत्रित करेंगे और

117 सीमा अधिनियम। इस प्रकार, मध्यस्थता की योजना से [2021] 3 एस. सी. आर.

अधिनियम और दिए गए निर्णयों, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी को उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

विवादों का त्वरित समाधान। [पैरा 26,31] [225-ई-जी; 228-सी]

एस. सी. सी. 470 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 619; गोवा राज्य बनाम वेस्टर्न बिल्डर्स (2006) 6 एस. सी. सी. 239; कांडला निर्यात

कॉर्प. वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। (2018) 14 एससीसी 715: [2018] 1

एस. सी. आर. 915; आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल

आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (2019) 4 एस. सी. सी. 401-आश्रित

पर।

1.4 हालाँकि, अधिकांश अपीलें अपीलीय अदालत में की जाती हैं

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत, धारा द्वारा शासित होते हैं

13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1ए) अपील के साथ-साथ पालन की जाने वाली सीमा अवधि के लिए मंच प्रदान करती है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सीमा अधिनियम की तुलना में एक विशेष कानून है जो एक सामान्य कानून है, जो सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के पठन के बाद आता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) 60 की सीमा की अवधि निर्धारित करती है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत वरीयता प्राप्त सभी अपीलों के लिए समान रूप से। [पैरा 32] [228-डी-ई]

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी (2020) 4 एससीसी 234 -

-

संदर्भित किया गया।

1.5 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) में ऐसा नहीं है

इसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के समान कोई प्रावधान शामिल है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) केवल निर्णय या आदेश की तारीख से 60 दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान करती है, जिसके खिलाफ अपील की जाती है, बिना यह जाने कि क्या इस अवधि से

आगे की देरी को माफ किया जा सकता है या नहीं। हालाँकि अपीलों के शीघ्र निपटारे का उद्देश्य धारा 14 में निर्धारित किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, धारा 14 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि छह महीने की अवधि निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत, वाणिज्यिक की धारा 16

उसकी अनुसूची के साथ पठित न्यायालय अधिनियम और सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 1 में किए गए संशोधन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक मुकदमे में प्रतिवादी को लिखित बयान, जी. ओ. वी. टी. दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd.

कौन सी अवधि समन की सेवा की तारीख से 120 दिनों से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है और उक्त अवधि की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दायर करने का अधिकार खो देता है और अदालत लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दे सकती है। इसके विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। [पैरा 33,34,36] [228-एफ-जी; 229

विलंब प्रावधान की माफी जो या तो खुला-समाप्त या सीमित है। इसके अलावा, प्रदान की गई 180 दिनों की अवधि एक संकेत था जिसके कारण न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को बाहर कर दिया, क्योंकि यह उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत अपील के लिए प्रदान की गई अवधि का दोगुना और तिगुना था। इसके विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) लागू होती है। अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की मध्यवर्ती अवधि, यानी सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 द्वारा प्रदान की गई 30 दिनों और 90 दिनों के बीच की अवधि। [पैरा 38] [234-बी-सी]

सी. सी. ई. और सीमा शुल्क बनाम होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड (2009) 5 एस. सी. सी. 791; सूर्यचक्र पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. बिजली

विभाग. (2016) 16 एससीसी 152: [2016] 8 एस. सी. आर. 108; ओ. एन. जी. सी. बनाम गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम। लिमिटेड (2017) 5

एससीसी 42 [2017] 2 एससीआर 922-प्रतिष्ठित।

सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (II) v. भारत संघ (2005) 6 एस. सी. सी. 344; एस. सी. जी. कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम। के. एस. चमनकर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड (2019) 12 एस. सी. सी. 210

: [2019] 3 एस. सी. आर. 1050-संदर्भित।

1.7 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 को दबाया गया था

सेवा में यह कहते हुए कि सी. सी. अधिनियम में निहित गैर-अवरोधक खंड सीमा अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों पर हावी होगा, जिसके परिणामस्वरूप, इसकी धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार, यह निवेदन कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को इस योजना को देखते हुए बाहर रखा गया है -

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 40,41] [234-ई-एफ; 235 डी-ई]

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794 -

संदर्भित किया गया।

[20

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.8 यह प्रस्तुत किया गया था कि क्या कठोर और तेज़ नियम

एन. वी. इंटरनेशनल के मामले में इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया कानून में सही है। एन. वी. इंटरनेशनल का मामला वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और इस संबंध में कहा जा सकता है कि यह इनक्यूरियम के अनुसार है। दूसरे, यह भी ध्यान रखना सही है कि 90 दिनों और 30 दिनों की अवधि और उसके बाद एस में उल्लेख नहीं किया गया है। 34 (3) मध्यस्थता अधिनियम अब लागू नहीं हो सकता है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 60 दिन है न कि 90 दिन। तीसरा, यह निवेदन कि प्रदान की गई अवधि से परे देरी की माफी को कम करने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति

एस में। 13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा यह भी स्पष्ट करेगी कि धारा 34 (3) के अंतिम भाग को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में इस तरह से शारीरिक रूप से उठाना भी अनुचित होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल एक आकस्मिक चूक है जिसे न्यायालय द्वारा भरा जा सकता है। [पैरा 42] [235-ई-एच]

1.9 व्याख्या और कानून के बीच का अंतर

यह कभी-कभी ठीक होता है, क्योंकि न्यायाधीश न केवल कानून की व्याख्या करते हैं बल्कि कानून भी बनाते हैं। [पैरा 43] [236-ए]

एरा वी. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 15 एस. सी. सी. 133: [2017] 7
एस. सी. आर. 924-संदर्भित।

1.10 यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि टोपी कैसी हो सकती है।

न्यायिक रूप से अस्थायी प्रावधान पर संलग्न किया जाता है जो तब सीमा से परे एक दिन भी देरी को माफ करने पर रोक लगाता है

उत्कीर्णित। [पैरा 47] [238-ए]

1.11 प्रस्तुतिकरण कि एक नागरिक पर शक्ति की सीमा

प्रारंभिक चरण में न्यायालय को एक सीमा के रूप में पढ़ा जा सकता है अपीलीय न्यायालय, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 49] [239-डी-ई]

चंडी प्रसाद बनाम। जगदीश प्रसाद (2004) 8 एससीसी 724: [2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 942; डी. पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम। के.

सतीश (2008) 8 एससीसी 505: [2008] 11 एससीआर 738

-

संदर्भित किया गया।

1.12 के सिद्धांत पर पी. राधा बाई के मामले पर भरोसा

जब टी. ओ. एस. लगाया जाता है तो अटूटता। 34 (3) मध्यस्थता अधिनियम भी इस मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या इस सिद्धांत को शारीरिक रूप से हटाया जा सकता है और एक अपील जीओवीटी पर संलग्न किया जा सकता है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd.

ऐसा प्रावधान जिसमें कोई कट-ऑफ प्वाइंट न हो, जिसके आगे की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, एन. वी. इंटरनेशनल के मामले का गलत निर्णय लिया गया है और इसे खारिज कर दिया गया है। [पैरा 50] [239-जी-एच; 240-ए-बी]

एन. वी. इंटरनेशनल बनाम असम राज्य (2020) 2 एससीसी 109

खारिज कर दिया।

पी. राधा बाई बनाम पी. अशोक कुमार (2019) 13 एससीसी 445:

[2018] 12 एस. सी. आर. 143 संदर्भित है।

1.13 सवाल अभी भी उत्पन्न होता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उन अपीलों पर लागू होती है जो एक वर्दी द्वारा शासित होती हैं।

60 - दिन की सीमा अवधि। एक चरम पर, एन. वी. इंटरनेशनल का मामला है जो 30 दिनों से अधिक की देरी की अनुमति नहीं देता है, और दूसरे चरम पर, एक खुला प्रावधान है जिसमें देरी की किसी भी राशि को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। यह इन दो चरम सीमाओं के बीच है कि इस न्यायालय को एक बीच का रास्ता अपनाना है। इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए एक न्यायिक उपकरण लैटिन सिद्धांत में निहित है जिसमें लिखित उपकरणों पर उदार निर्माण किया जाना चाहिए। [पैरा 51,52] [240-बी-ई]

[2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 387-संदर्भित।
1.14 मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक को पढ़ना

न्यायालय अधिनियम समग्र रूप से, यह स्पष्ट है कि जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को मध्यस्थता अधिनियम के अनुच्छेद 116 या 117 के साथ पढ़ा जाता है सीमा अधिनियम या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए), उक्त कानूनों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य और संदर्भ, समग्र रूप से पढ़ें, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपीलों का त्वरित निपटान है। सीमा अधिनियम की धारा 5 पढ़ने के लिए

उक्त उद्देश्य के अनुरूप, यह पता लगाना आवश्यक है कि धारा 37 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने के संदर्भ में "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।

मध्यस्थता अधिनियम। सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" एक क़ानून के उद्देश्य और संदर्भ के आधार पर अलग-अलग परिणाम देने के लिए पर्याप्त लोचदार है। [पैरा 53,54] [242-बी-डी]

अजमेर कौर बनाम। पंजाब राज्य (2004) 7 एससीसी 381: [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 601; ब्रह्मपाल बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1053 संदर्भित है।

1.15 मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, यानी विवादों का त्वरित समाधान, अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" अपील प्रावधान द्वारा प्रदान की गई अवधि से परे लंबी देरी को कवर करने के लिए पर्याप्त लोचदार नहीं है। इसके अलावा, "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति स्वयं लापरवाही और पुराने दावों को दबाने के लिए एक ढीला रामबाण नहीं है। इसी तरह, केवल इसलिए कि सरकार इसमें शामिल है, देरी को माफ करने के लिए एक अलग पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि पर्याप्त कारण बना दिया गया है, अपीलार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है

देरी को माफ कर दिया। [पैरा 56,57,60] [246-बी-सी; 249-बी; 251-एफ]

बासवराज बनाम। भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81: [2013] 8 एससीआर 227; पोस्टमास्टर जनरल बनाम। लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (2012) 3 एससीसी 563: [2012] 1 एस. सी. आर. 1045; राजस्थान राज्य बनाम बाल किशन माथुर (2014) 1 एससीसी 592 [2013] 10 एससीआर 137; यू. पी. राज्य बनाम अमर नाथ यादव (2014) 2 एससीसी 422; राज्य टी. एन. वी. एन. सुरेश राजन (2014) 11 एससीसी 709 [2014] 1 एससीआर 135; एम. पी. बनाम राज्य भेरूलाल (2020) 10 एस. सी. सी. 654; एम. पी. बनाम राज्य चैत्रम मेवाडे (2020) 10 एस. सी. सी. 667; रामलाल बनाम। रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड (1962) 2 एस. सी. आर. 762-निर्दिष्ट।

1.16 त्वरित निपटान का उद्देश्य मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों के तहत प्राप्त किया जाना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपीलों के लिए जो सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) द्वारा शासित हैं, क्रमशः 90 दिनों, 30 दिनों या 60 दिनों से अधिक की देरी को माफ किया जाना है।

अपवाद और नियम के माध्यम से नहीं। एक उपयुक्त मामले में जिसमें एक पक्ष ने अन्यथा लापरवाही से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम किया है, ऐसी अवधि से आगे की एक छोटी सी देरी को अदालत के विवेक से माफ किया जा सकता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

1.17 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 665 से उत्पन्न दीवानी अपील में, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में, महाराष्ट्र ने ईमानदारी से अदालत का रुख नहीं किया था। जीओवीटी के अलावा।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd.

यह, धारा 13 (1ए) के तहत अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई 60 दिनों की अवधि से परे 131 दिनों की लंबी देरी है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम। विलंब आवेदन की क्षमा में निहित नाम के लायक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसके अलावा सामान्य फाइल-पुशिंग और प्रशासनिक आवश्यकता। [पैरा 62,63] [252 जी; 253-सी-डी]

1.18 2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 15278 से उत्पन्न दीवानी अपील में उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर भरोसा किया गया था।

समेकित अंग्रेज़ी। 'और इस प्रकार कहा कि एन. वी. इंटरनेशनल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय का निर्णय समेकित इंजीनियरिंग के रूप में पूरी तरह से गलत है। 'एस मामला एक निर्णय था जो सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करता था और इसका सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन से कोई लेना-देना नहीं था। एन. वी. इंटरनेशनल का मामला एक प्रत्यक्ष निर्णय था जो सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करता था और फिर यह अभिनिर्धारित करता था कि देरी की कोई भी क्षमा 120 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय एन. वी. इंटरनेशनल के मामले का पालन करने के लिए बाध्य था, क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख पर, एन. वी. इंटरनेशनल का मामला संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का फैसला था।

इस आधार पर, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस अपील के तथ्यों पर, 60 दिनों की अवधि से परे 75 दिनों की लंबी देरी है

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम। इस तथ्य के बावजूद कि जिला न्यायालय के फैसले की एक प्रमाणित प्रति प्रतिवादी द्वारा 27.04.2019 पर प्राप्त की गई थी, अपील केवल 09.09.2019 पर दायर की गई थी। देरी के लिए यह स्पष्टीकरण किसी भी पर्याप्त कारण को बनाने से बहुत कम है। देरी की माफी इस अंक पर भी अलग रखी जाती है। [पैरा 64-66] [253-D-H; 254-A-E]

1.19 2020 की एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 18079 से उत्पन्न दीवानी अपील में, आवेदन दाखिल करने में 227 दिनों की भारी देरी हुई है।

अपील, और पुनः दाखिल करने में 200 दिनों की देरी। मामले के तथ्यों से यह भी पता चलता है कि माफी देने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था इतनी लंबी देरी। इस आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 67] [254-ई-एफ]

भारत संघ बनाम। वरिदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 111-संदर्भित।

[2021] 3

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(2020) 2 एससीसी 111

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2008] 5 एससीआर 1108

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[1963] 1 एससीआर 70

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2006) 6 एससीसी 239

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2018] 1 एससीआर 915

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

(2019) 4 एस. सी. सी. 401

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

(2020) 4 एससीसी 234

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

(2005) 6 एस. सी. सी. 344

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2019] 3 एससीआर 1050

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

पै

रा 3

प्रतिष्ठित

[2016] 8 एससीआर 108

प्रतिष्ठित

पै

रा 3

[2017] 2 एससीआर 922

प्रतिष्ठित

पै

रा 3

[2018] 12 एससीआर 794

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[2017] 7 एससीआर 924

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2004] 4 पूरक। एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2008] 11 एससीआर 738

संदर्भित किया गया है

पै

रा

(2020) 2 एस. सी. सी 109

खारिज कर दिया गया

पै

रा

[2018] 12 एससीआर 143

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2002] 5 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2004] 2 पूरक। एससीआर 601

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2013] 8 एससीआर 227

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[2012] 1 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2013] 10 एससीआर 137

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(2014) 2 एस. सी. सी. 422

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5 जीओवीटी।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ENG.R v. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd.

(2020) 10 एस. सी. सी. 654

संदर्भित किया गया है

पै

रा 58

(2020) 10 एस. सी. सी. 667

संदर्भित किया गया है

पै

रा 59

(1962) 2 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 995

2021 .

द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.2020 से

मध्यस्थता याचिका (स्टाम्प) सं. 2020 के सिविल आवेदन सं. 421 में औरंगाबाद में बॉम्बे पीठ में उच्च न्यायालय का न्यायपीठ। 36068 में से 2019 .

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। संदीप

सुधाकर देशमुख, प्रवीर कुमार जैन, अमेयविक्रमा थानवी, अक्षय अमृतांशु, सुश्री रुचि कोहली, प्रशांत सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, शशिभूषण पी. अदगांवकर, विजय पाटिल, रविभूषण पी. अदगांवकर, गगनदीप शर्मा, राणा संदीप बुसा, अमलपुष्प श्रोती, डॉ. अमित जॉर्ज, अरुणाभा गांगुली, गुंटूर प्रमोद कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 18079 में देरी को माफ कर दिया गया

2020 .

2. इन अपीलों में कानून का जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह है -

इस बारे में कि क्या एन. वी. इंटरनेशनल बनाम में इस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। असम राज्य, (2020) 2 एससीसी 109 ["एन. वी.

इंटरनेशनल "] कानून को सही ढंग से निर्धारित करता है। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम में अपने पहले के फैसले का पालन किया। वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 111 ["वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस"] और निम्नानुसार आयोजितः

" 3. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, हम कर सकते हैं

ध्यान दें कि पदार्थ अब समाकलन नहीं है। भारत संघ में

वी. वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड [भारत संघ बनाम। वरिंदरा

कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 111], इस न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा

और दिनांकित आदेश 17-9-2018 [भारत संघ बनाम। वरिंदरा

कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 111] ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 112 ,

पैरा 1-5)

" 1. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. भारत संघ बनाम में 19-4-2018 दिनांकित निर्णय द्वारा।

वरिदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड [भारत संघ बनाम। वरिदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, (2018) 7 एस. सी. सी. 794], इस न्यायालय ने लगभग समान तथ्यों और परिस्थितियों में अपील की अनुमति दी है।

एक मध्यस्थता पुरस्कार से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में भारत संघ।

3. आम तौर पर, हम उक्त निर्णय को इस मामले में भी लागू करते। हालाँकि, हम पाते हैं कि विवादित डिवीजन बेंच का निर्णय दिनांक 10-4-2013 [भारत संघ बनाम। वरिदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6511] ने देरी के आधार पर भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। अपील दायर करने में 142 दिन और अपील को फिर से दायर करने में 103 दिन की देरी पाई गई। डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह है कि, इस तथ्य के अलावा कि देरी के आधार पर कोई पर्याप्त कारण नहीं बनाया गया है, क्योंकि धारा 34 का आवेदन अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना है, जिसमें 30 दिनों की अनुग्रह अवधि भी शामिल है, धारा 37 के तहत उसी कार्यवाही से दायर अपील को उसी कवायद के दायरे में लाया जाना चाहिए।

4. इस तथ्य को देखते हुए कि एक अपीलीय कार्यवाही मूल कार्यवाही की निरंतरता है, जैसा कि लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में आयोजित किया गया है। केशवरलाल चौधरी [लछमीश्वर] प्रसाद शुकुल बनाम। केसर लाल चौधरी, 1940 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एफ. सी. 10: ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 5], और बार-बार हमारे निर्णयों का पालन करते हुए, हम महसूस करते हैं कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत खारिज या अनुमति दिए जाने वाले आवेदन से धारा 37 के तहत अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह मध्यस्थता कार्यवाही के समग्र वैधानिक उद्देश्य को विफल कर देगा।

अत्यंत प्रेषण के साथ निर्णय लिया। 5. मामले के इस दृष्टिकोण में, क्योंकि मूल अपील भी

हम इस विशेष मामले के तथ्यों पर इन विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

तदनुसार।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि हमने उपरोक्त में क्या किया है।

डीगमेंट को 90 दिनों की अवधि में जोड़ना है, जो जीओवीटी द्वारा प्रदान किया जाता है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

उन सभी मध्यस्थ विवादों का त्वरित समाधान जो 1996 के अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग में सबसे ऊपर थे और जिन्हें समय-समय पर किए गए संशोधनों द्वारा मजबूत किया गया है। वर्तमान देरी 120 दिनों से अधिक होने के कारण उत्तरदायी नहीं है, इसलिए, क्षमा करने के लिए "।

3. हमारे समक्ष तीन अपीलों में से दो, यानी 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 665 से उत्पन्न सिविल अपील और 2020 की एस. एल. पी. (सी) डायरी No.18079 से उत्पन्न सिविल अपील में, बॉम्बे और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने वीडियो के माध्यम से कहा:

क्रमशः 17.12.2020 और 15.10.2019 दिनांकित निर्णयों ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करते हुए क्रमशः महाराष्ट्र सरकार और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय (उपर्युक्त) ने कहा कि इस निर्णय और इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के फैसले के बीच टकराव है। समेकित अंग्रेज़ी। उद्यम बनाम। सिंचाई विभाग। , (2008) 7 एस. सी. सी. 169 ["समेकित अंग्रेजी"।] . इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के लिए सीमा अधिनियम, 1963 ["सीमा अधिनियम"] की धारा 5 को लागू करने में देरी को माफ करने का अधिकार है और वास्तव में, 57 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया था।

4. श्री संदीप सुधाकर देशमुख, महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश विद्वान वकील (जल संसाधन)

विभाग) ["महाराष्ट्र सरकार"], 2021 के एसएलपी (सी) संख्या 665 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अधिनियम ने अपने मूल अवतार में विवादों के त्वरित समाधान की अवधारणा या विचार को शामिल नहीं किया है। सबसे अच्छा, मध्यस्थता अधिनियम को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करने वाले तंत्र के रूप में माना जा सकता है। यह मूल

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["2015 संशोधन"] द्वारा उद्देश्य को जारी रखा गया है जो मध्यस्थता के लिए एक समय सीमा प्रदान करता है

पुरस्कार और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए और 29बी में निहित त्वरित प्रक्रिया के लिए। यह मामला होने के नाते, एन. वी. की नींव है।

अंतर्राष्ट्रीय (ऊपर) कानून में गलत है। श्री देशमुख ने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत किए जाने वाले आदेशों के अलावा धारा 8,9,16 और 17 के तहत दिए गए आदेशों सहित कई आदेशों से अपील का प्रावधान है।

उनके अनुसार, एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) में निहित तर्क या तर्क शायद केवल धारा 34 के आदेशों की अपीलों पर लागू होगा, लेकिन उन आदेशों पर लागू नहीं होगा जो अन्य उपरोक्त धाराओं में से किसी के तहत पारित किए जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी धारा के तहत दायर किए गए आवेदनों के लिए 120 दिनों की सीमा अवधि का कोई कठोर और त्वरित आवेदन नहीं है।

5. श्री देशमुख ने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 एक निर्णय के सुधार और व्याख्या पर विचार करती है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण को बिना किसी बाहरी सीमा के समय बढ़ाने की शक्ति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने की सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा नियंत्रित की जाएगी, जिसमें तीन साल की बहुत लंबी सीमा अवधि का प्रावधान है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 में सीमा की अलग-अलग अवधि प्रदान की गई है, जो क्रमशः 90 दिन और 30 दिन है। चूँकि ये अलग-अलग निर्धारित अवधियाँ मनमाने परिणाम देती हैं, इसलिए "अपील" की अवधारणा को "आवेदन" शब्द की परिभाषा में पढ़ना होगा ताकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत "अपील" प्रावधान समान रूप से सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित हो, जिससे तीन साल की एक समान सीमा अवधि हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील के लिए धारा 34 (3) के तहत परिकलित सीमा की अवधि को पढ़ना न्यायिक कानून के बराबर होगा।

धारा 37 में प्रदत्त सीमा की किसी भी अवधि के अभाव के कारण। उन्होंने उन मामलों का हवाला देते हुए बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा किया जहां सीमा अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही और अन्य मामलों में लागू माना गया था जिनमें ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) पर बड़ी संख्या में निर्णयों का भी हवाला दिया, जो उक्त धारा के तहत "व्यक्त बहिष्कार" के अर्थ से संबंधित हैं। इसके बाद उन्होंने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 की प्रयोज्यता पर निर्णयों का हवाला दिया और

निर्णय जो न्यायिक विधान को छोड़ता है।

6. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

भारत संघ की ओर से पेश होते हुए, 2020 की एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 18079 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ["वाणिज्यिक न्यायालय जी. ओ. वी. टी." के प्रावधानों को विस्तार से पढ़ा।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

अधिनियम] और दो विधि आयोग रिपोर्टों को संदर्भित किया, जिनके कारण इसे लागू किया गया, अर्थात् 188 वीं विधि आयोग रिपोर्ट और 253 वीं विधि आयोग रिपोर्ट।

विधि आयोग की रिपोर्ट। इसके बाद उन्होंने कांडला एक्सपोर्ट कॉर्प में इस अदालत के फैसलों का उल्लेख किया। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। , (2018) 14 एस. सी. सी. 715 ["कांडला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन"] और बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. बनाम। एन. एच. पी. सी., (2020) 4 एस. सी. सी. 234, वाणिज्यिक अधिनियम की धारा 13 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है। न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37। उन्होंने तर्क दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) द्वारा 60 दिनों की एक सीमा अवधि निर्धारित की गई थी, और हालांकि इसकी धारा 14 आदेश देती है कि अपीलों का त्वरित निपटान छह महीने की अवधि के भीतर किया जाता है।

ऐसी अपील दायर करने की तारीख से, दोनों प्रावधानों में से कोई भी अपीलीय अदालतों को योग्य मामलों में सीमा की अवधि में ढील देने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू नहीं करने के लिए बाध्य नहीं करता है। उन्होंने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए पर भी भरोसा किया, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सीमा अधिनियम की बात करती है। इसके बाद उन्होंने अनुसूची के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 और विशेष रूप से सिविल संहिता के आदेश VIII नियम 1 में किए गए संशोधन का उल्लेख किया।

प्रक्रिया, 1908 ["सी. पी. सी".] जो एक निश्चित अवधि की सीमा समाप्त होने के बाद रक्षा के अधिकार को बंद कर देती है, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के विपरीत है, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 [आई. बी. सी.] और बिजली अधिनियम, 2003 जैसे विभिन्न कानूनों के तहत निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 5 या तो विचाराधीन कानून की योजना के आधार पर या सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में बताए गए "स्पष्ट बहिष्कार" के आधार पर लागू नहीं होती है।

7. 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 15278 से उत्पन्न सिविल अपील में उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अमलपुष्प श्रोती ने श्री देशमुख और सुश्री भाटी की दलीलों का व्यापक रूप से समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए समान प्रस्तुतियों को पुष्ट किया। 8. श्री विनय नवारे, मैसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। लिमिटेड ["बोर्स ब्रदर्स"।] , 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 665 से उत्पन्न दीवानी अपील में प्रतिवादी को महाराष्ट्र सरकार के आचरण को इंगित करने के लिए दर्द हो रहा था।

और कहा कि यदि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत 60 दिनों की अवधि की गणना की जानी है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर अपील 131 दिनों की अवधि के लिए देरी होगी जिसके लिए

नाम के योग्य कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें यह भी कहा गया था कि हालांकि प्रमाणित [2021] 3 एस. सी. आर.

फैसले की प्रति के लिए आवेदन किया गया था और 27.05.2019 द्वारा तैयार किया गया था, महाराष्ट्र सरकार ने गलत तरीके से उल्लेख किया कि उसे ऐसी प्रति केवल 24.07.2019 पर मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी।

9. इसके अलावा, श्री नवारे ने श्री देशमुख के सवाल का जवाब देना चाहा।

प्रस्तुत करना कि एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) का तर्क धारा 34 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर लागू हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि कई अलग-अलग अपील प्रावधानों को एक धारा में एक साथ जोड़ा गया था और विभिन्न अपीलीय प्रावधानों का विषय हो सकता था।

यह मूल कार्यवाही में निहित है जिसके खिलाफ अपील करने की मांग की गई थी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना मध्यस्थता में निहित है

जहां तक धारा 8 के आवेदनों की अपीलों का संबंध है, यह है कि यह केवल तभी है जब धारा 8 के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है और अन्यथा नहीं, इसकी तुलना धारा 34 के आदेश के खिलाफ अपील से की जाती है, जो यह है कि अदालत धारा 34 के आवेदन को अनुमति देती है या नहीं। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्येक अपीलीय प्रावधान का अपना तर्क होगा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8,9,16 और 17 के मामलों में अपील, जो धारा 34 के तहत दायर अपीलों के विपरीत 30 दिनों की अवधि से परे पर्याप्त कारण दिखाने की अनुमति देती है, जो 30 दिनों की अवधि तक पर्याप्त कारण दिखाने की अनुमति देती है, अन्यथा धारा 34 का पूरा उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बयान और निर्णयों का उल्लेख किया ताकि यह दिखाया जा सके कि श्री देशमुख का निवेदन है कि मध्यस्थता अधिनियम ने केवल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान किया और त्वरित निपटान पूरी तरह से गलत था। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यस्थता अधिनियम की कई धाराओं जैसे कि धारा 9 (2), 11 (4), 11 (13), 13 (2)-(5), 29 ए, 29 बी, 33 (3)-(5) और 34 (3) में विशिष्ट समयसीमा निहित है, जो यह इंगित करती है कि त्वरित निपटान का उद्देश्य मध्यस्थता के केंद्र में था।

एक्ट करें।

10. श्री नवारे ने तब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम पर भरोसा किया और

विशेष रूप से, धारा 13 (1 ए) और 14 पर, यह दिखाने के लिए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में निहित अपीलों के त्वरित निपटारे के पूरे उद्देश्य को मंजूरी दी जाएगी यदि 30 दिनों से अधिक की लंबी अवधि की देरी को माफ किया जाना है, क्योंकि अपील पर छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना है। उन्होंने कई फैसलों का भी हवाला दिया और एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि एक न्यायाधीश नहीं है।

असहाय जब एक प्रावधान का सामना करना पड़ता है, जिसे जब शाब्दिक रूप से पढ़ा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप मनमाने और अन्यायपूर्ण आदेश पारित किए जाते हैं। उन्होंने जीओवीटी का भी उल्लेख किया।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

निर्णय जहाँ एक केसस ओमिसस की आपूर्ति की जा सकती है, जो कि एन. वी. इंटरनेशनल (सुप्रा) में किया गया था।

11. 2020 के एसएलपी (सी) No.15278 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी मेसर्स स्वास्तिक वायर्स की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मनोज चौहान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.01.2020 के विवादित फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि समेकित इंजीनियरिंग में इस न्यायालय का फैसला। (उपर्युक्त), तीन विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय होने के नाते, एन. वी. इंटरनेशनल (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर प्रबल होगा, जो केवल दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया जाता है और इसलिए, देरी को माफ किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होने के बाद, न्यायालय "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति पर कोई सीमा नहीं लगा सकता है और यहां तक कि अगर लंबी देरी होती है और पर्याप्त कारण बनाया जाता है, तो भी इस तरह की देरी को माफ किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायालय व्यक्तिगत रूप से न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग कर सकता है, जो सभी बुराइयों के लिए एक वास्तविक ब्रह्मास्त्र और रामबाण है।

मामले।

12. डॉ. अमित जॉर्ज, मेसर्स एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पेश विद्वान वकील, एसएलपी से उत्पन्न सिविल अपील में प्रतिवादी (ग) 2020 की डायरी संख्या 18079 ने तर्क दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13, त्वरित निपटान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को बाहर करती है।

कुल मिलाकर। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कांडला निर्यात निगम (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले और सी. सी. ई. और सीमा शुल्क बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड, (2009) 5 एससीसी 791 [" होंगो] जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 [केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम] की धारा 35-एच (1) से संबंधित है। उन्होंने अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया।

जिसने सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी विशेष क़ानून की योजना से यह स्पष्ट हो सकता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 का "स्पष्ट बहिष्कार" है, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत मामला है। फिर उन्होंने फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया एन. वी. इंटरनेशनल (ऊपर) अपने तर्क का समर्थन करते हुए और उन निर्णयों का हवाला देते हुए जो यह दर्शाते हैं कि सीमा अधिनियम की अन्य धाराओं को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के संदर्भ में बाहर रखा गया था-जैसे कि सीमा अधिनियम की धारा 4 और 17। किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि तथ्यों पर

पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था, और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 15.10.2019 के फैसले को भी इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

21] 3 एस सी आर।

13. इन अपीलों में जो तर्क दिए गए हैं और उद्धृत मामला कानून उस संकीर्ण प्रश्न से परे चला गया है जो उत्पन्न होता है।

हमारे सामने। हालाँकि, इन तर्कों से निपटने के लिए, पहले उन तीन कानूनों में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है जिन पर इन अपीलों में दोनों पक्षों द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया है।

14. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यस्थता अधिनियम ने अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित बातें कही हैं:

" 4. विधेयक के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

XXX XXX XXX

((ii) एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया का प्रावधान करना जो उचित हो,

कुशल और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम

मध्यस्थता;

XXX XXX XXX

(v) मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना।

15. जैसा कि श्री नवारे ने सही बताया है, एक मध्यस्थता प्रक्रिया की आवश्यकता जो कुशल है और मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने से निश्चित रूप से पता चलेगा कि मध्यस्थता अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में से एक मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का त्वरित निपटान है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5

महत्वपूर्ण है और कहता है:

" 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा जहाँ इस भाग में इस प्रकार उपबंध किया गया है।

16. मध्यस्थता अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान प्रदान करते हैं

इस प्रकार है:

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थता समझौता है।

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्ष या इसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति

या उसके अधीन, इसलिए उसके प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में लागू नहीं होता है

विवाद के सार पर पहला बयान, फिर, सर्वोच्च वी. टी. के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता के साथ न हो।

समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि: 2 [बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रति मध्यस्थता के संदर्भ में आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध न हो

उप-धारा (1) के तहत, और उक्त समझौते या प्रमाणित प्रति को उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखा जाता है, फिर, पक्षकार

आवेदन करने वाला इस तरह के आवेदन की एक प्रति के साथ दाखिल करेगा

पुरस्कार दिया गया "। " 9. न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, आदि।

XXX XXX XXX

(2) जहाँ, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, कोई न्यायालय संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है। उप-धारा (1) के तहत, मध्यस्थता कार्यवाही ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर शुरू की जाएगी या

ऐसे आगे के समय के भीतर जो न्यायालय निर्धारित करे।

" 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

XXX XXX XXX

(4) यदि उप-धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और -

(क) एक पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है; या (ख) दोनों नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं।

नियुक्ति, किसी पक्ष के अनुरोध पर, उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा की जाएगी; [2021] 3 एस. सी. आर.

XXX XXX XXX

(13) इस धारा के तहत मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा, जैसा भी मामला हो, जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा और विरोधी पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

" 13. चुनौती प्रक्रिया।

(1) उप-धारा (4) के अधीन, पक्षकार एक मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

धारा 12 की धारा (3), मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित विवरण भेजती है। (3) जब तक कि मध्यस्थ को उप-धारा (2) के तहत चुनौती नहीं दी गई हो

यदि वह अपने पद से हट जाता है या दूसरा पक्ष चुनौती के लिए सहमत हो जाता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण चुनौती पर निर्णय लेगा।

(4) यदि पक्षकारों द्वारा सहमत किसी प्रक्रिया के तहत या उप-धारा (2) के तहत प्रक्रिया के तहत कोई चुनौती सफल नहीं होती है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखेगा और मध्यस्थता पुरस्कार देगा।

(5) जहां उप-धारा (4) के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार दिया जाता है, मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) जहां उप-धारा (5) के तहत किए गए आवेदन पर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाता है, वहां न्यायालय यह तय कर सकता है कि जिस मध्यस्थ को चुनौती दी गई है वह किसी भी शुल्क का हकदार है या नहीं।

" 16. माध्यस्थम न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता। —

XXX XXX XXX

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

तथापि, एक पक्ष को केवल इस कारण से ऐसी याचिका दायर करने से नहीं रोका जाएगा कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

" 29 ए. मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा। —

(2) यदि निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश दिए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाता है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण अतिरिक्त शुल्क की ऐसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जिस पर पक्षकार सहमत हों। (3) पक्षकार सहमति से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

(4) यदि अधिनिर्णय उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उप-धारा (3) के तहत विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ (ओं) का अधिदेश तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि न्यायालय ने अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में ऐसा नहीं किया हो। निर्दिष्ट, अवधि बढ़ाई गई:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत अवधि का विस्तार करते समय, यदि न्यायालय को पता चलता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कारण कार्यवाही में देरी हुई है, तो वह मध्यस्थ (ओं) की फीस में पांच प्रतिशत से अधिक की कमी का आदेश दे सकता है।

इस तरह की देरी के प्रत्येक महीने के लिए।

बशर्ते कि जहां उप-धारा (5) के तहत कोई आवेदन लंबित है, मध्यस्थ का आदेश उक्त आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा: बशर्ते कि शुल्क कम करने से पहले मध्यस्थ को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तार किसी भी पक्ष के आवेदन पर हो सकता है और केवल पर्याप्त कारण और ऐसे नियमों और शर्तों पर दिया जा सकता है जो न्यायालय द्वारा लगाए जाएं।

(6) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तार करते समय, यह न्यायालय के लिए एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला होगा और यदि एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो मध्यस्थता की कार्यवाही पहले से ही पहुँच चुके चरण से और पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद साक्षय और सामग्री के आधार पर जारी रहेगी, और इस धारा के तहत नियुक्त मध्यस्थ (ओं) को ऐसा माना जाएगा -

उक्त साक्षय और सामग्री प्राप्त की।

(7) इस धारा के तहत मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति की स्थिति में, इस प्रकार पुनर्गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निम्न में माना जाएगा -

पूर्व में नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण की निरंतरता।

(8) न्यायालय के लिए इस धारा के तहत किसी भी पक्ष पर वास्तविक या अनुकरणीय लागत अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

(9) उप-धारा (5) के तहत दायर एक आवेदन का न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाएगा और विरोधी पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने के लिए बनाया गया "

“ 29 बी. त्वरित प्रक्रिया। —

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के पक्षकार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति से पहले या उसके समय किसी भी स्तर पर, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट त्वरित प्रक्रिया द्वारा अपने विवाद का समाधान करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं।

(2) मध्यस्थता समझौते के पक्षकार, त्वरित प्रक्रिया द्वारा विवाद के समाधान के लिए सहमत होते हुए, इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक एकमात्र मध्यस्थ होगा जिसे पक्षकारों द्वारा चुना जाएगा।

(3) मध्यस्थ न्यायाधिकरण उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा: — (क) मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों द्वारा दायर लिखित दलीलों, दस्तावेजों और प्रस्तुतियों के आधार पर विवाद का फैसला करेगा।

बिना किसी मौखिक सुनवाई के; वी. टी.

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआरवी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास किसी भी मामले की सुनवाई करने की शक्ति होगी।

पक्षकारों द्वारा दायर अभिवचनों और दस्तावेजों के अलावा और जानकारी या स्पष्टीकरण;

(ग) मौखिक सुनवाई केवल तभी की जा सकती है जब सभी पक्ष अनुरोध करें या यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह आवश्यक समझता है कि कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए मौखिक सुनवाई;

(घ) यदि मौखिक सुनवाई होती है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी भी तकनीकी औपचारिकताओं को समाप्त कर सकता है और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए ऐसी प्रक्रिया अपना सकता है जो उचित समझी जाए। (4) इस धारा के तहत पुरस्कार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा प्रवेश करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(6) मध्यस्थ को देय शुल्क और शुल्क के भुगतान का तरीका ऐसा होगा जिस पर मध्यस्थ और पक्षों के बीच सहमति हो। " 33. पुरस्कार में सुधार और व्याख्या; अतिरिक्त पुरस्कार।

XXX XXX XXX

(3) माध्यस्थम न्यायाधिकरण, माध्यस्थम अधिनिर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अपनी पहल पर, उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी भी त्रुटि को सुधार सकता है।

(5) यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण उप-धारा (4) के तहत किए गए अनुरोध को उचित मानता है, तो वह ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर अतिरिक्त मध्यस्थता पुरस्कार देगा।" " 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। —

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि कोई अनुरोध किया गया था।

धारा 33 के तहत उस तारीख से किया गया था, जिस दिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया था:

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। ”

" 37. अपील योग्य आदेश।

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से अपील की जाएगी, अर्थात्:

(क) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना;

(ख) धारा 9 के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना;
(ग) धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना या अलग रखने से इनकार करना।

(2) मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी।

न्यायाधिकरण

(क) उप-धारा (2) या उप-धारा में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना।

धारा 16 की धारा (3); या

(बी) के तहत एक अंतरिम उपाय देने या देने से इनकार करना

धारा 17.

(3) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा या छीन नहीं लेगा।

(1) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) मध्यस्थताओं पर वैसा ही लागू होगा जैसा वह न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होता है। (2) इस धारा और सीमा अधिनियम, 1963 के प्रयोजनों के लिए

(36 1963 का), एक मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि को शुरू हुई मानी जाएगी।

वी. टी. महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

(3) जहाँ भविष्य के विवादों को मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि कोई भी दावा जिस पर समझौता लागू होता है, तब तक वर्जित रहेगा जब तक कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई कदम समझौते द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं उठाया जाता है, और एक विवाद उत्पन्न होता है।

कारण हो सकता है, और इसके बावजूद कि इस प्रकार निर्धारित समय समाप्त हो गया है, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जो मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है, समय को उस अवधि के लिए बढ़ाएं जो उसे उचित लगे।

(4) जहां न्यायालय आदेश देता है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाए, मध्यस्थता के प्रारंभ और न्यायालय के आदेश की तारीख के बीच की अवधि को गणना में बाहर रखा जाएगा

कार्यवाहियों के प्रारंभ (मध्यस्थता सहित) के लिए सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) द्वारा निर्धारित समय

इस प्रकार प्रस्तुत विवाद के संबंध में "।

17. जहाँ तक सीमा अधिनियम का संबंध है, धारा 5 और 29 (2) निम्नानुसार हैं:

" 5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार। कोई भी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रावधानों में से किसी के तहत आवेदन के अलावा अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलार्थी या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त था।

ऐसी अवधि के भीतर अपील या आवेदन करने को प्राथमिकता नहीं देने का कारण। स्पष्टीकरण। यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से चूक गए थे, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।

" 29. बचत।

XXX XXX XXX

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए उस अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

अनुसूची द्वारा विहित, धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से। किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट लागू होंगे।

21] 3 एस सी आर।

जहाँ तक, और जिस हद तक, वे स्पष्ट रूप से नहीं हैं ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अपवर्जित।"

18. इसके अलावा, अनुसूची के प्रासंगिक अनुच्छेदों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" अनुसूची

(सीमा के नियम)

XXX XXX XXX

सूट का विवरण	अवधि	किस समय से सीमा दौड़ना शुरू करें
116. संहिता के तहत सिविल प्रक्रिया, 1908 (के 5) 1908)		
(क) किसी भी। नब्बे दिनों से उच्च न्यायालय में।	आदेश या आदेश।	डिक्री की तारीख या आदेश दें।
((ख) किसी अन्य न्यायालय से कोई डिक्री या आदेश।	तीस दिन।	डिक्री की तारीख या आदेश दें।
117. एक डिक्री या आदेश से तीस दिन।		

डिक्री की तारीख या

किसी भी उच्च न्यायालय से

आदेश दें।

एक ही न्यायालय

137. कोई अन्य आवेदन तीन साल।

आवेदन करने का

अधिकार कब

जिसके लिए कोई अवधि नहीं

अर्जित करता है।

सीमा

प्रदान किया गया

है।

इस प्रभाग में कहीं और।

19. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अपने उद्देश्यों के विवरण में कहता है

और निम्नलिखित कारण:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण
उच्च मूल्य के त्वरित निपटान का प्रावधान करने का प्रस्ताव

वाणिज्यिक विवाद विचाराधीन हैं

कुछ समय के लिए सरकार। द हाई व्लाउ कमर्शियल
विवादों में जटिल तथ्य और कानून का प्रश्न शामिल होता है। इसलिए,

उनके लिए एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है

प्रारंभिक समाधान। वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान
स्वतंत्र के बारे में निवेशक दुनिया के लिए एक सकारात्मक छवि बनाएँ

और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली "।

" 6. वाणिज्यिक न्यायालयों को शुरू करने का प्रस्ताव है,

उच्च वी. टी. का वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

वाणिज्यिक न्यायालयों का स्थान लेने के लिए न्यायालय विधेयक, 2015

उच्च न्यायालयों का प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग

अध्यादेश, 2015 जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता है:

अर्थात्:

XXX XXX XXX

(v) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को लागू होने के अनुसार संशोधित करना।

वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों को जो

उच्च न्यायालय के मौजूदा नियमों और अन्य प्रावधानों पर प्रबलता

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ताकि सुधार किया जा सके दक्षता और वाणिज्यिक मामलों के निपटान में देरी को कम करना।

7. प्रस्तावित विधेयक आर्थिक विकास को गति देगा, सुधार करेगा।

राष्ट्र की कानूनी संस्कृति में निवेशक दुनिया का विश्वास। 20. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (i) "निर्दिष्ट" को परिभाषित करती है।

इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(i) वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट मूल्य" का अर्थ किसी वाद के संबंध में विषय-वस्तु का मूल्य होगा -

धारा 12 के अनुसार निर्धारित किया गया जो कम नहीं होगा तीन लाख रुपये से अधिक या ऐसा अधिक मूल्य, जिसके द्वारा अधिसूचित किया जाए

केंद्र सरकार "।

21. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अध्याय 2 में वाणिज्यिक व्यवस्था की गई है।

5 , वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक

देर से विभाजन। जहाँ तक मध्यस्थता का संबंध है, धारा 10 है -

rtant और निम्नलिखित रूप में कहते हैं:

" 10. मध्यस्थता मामलों के संबंध में अधिकारिता। कहाँ?

एक मध्यस्थता का विषय एक वाणिज्यिक विवाद है

निर्दिष्ट मूल्य और -

(1) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, तो इस तरह के मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (के 26) के प्रावधान

1996) जो उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी और [2021] 3 एस. सी. आर.

वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा निपटाया गया जहां ऐसा वाणिज्यिक

ऐसे उच्च न्यायालय में प्रभाग का गठन किया गया है।

(2) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील, जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किए गए हैं, की सुनवाई और निपटान वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा, जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन ऐसे मामलों में किया गया है।

उच्च न्यायालय।

(3) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील जो आम तौर पर किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रमुख दीवानी न्यायालय के समक्ष होते हैं (जो उच्च न्यायालय नहीं है), ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किए जाएंगे, और उस पर सुनवाई और निपटान किया जाएगा जहां

ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

22. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम आदि के अन्य प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 13. वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेशों से अपील और

वाणिज्यिक प्रभाग।

(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है।

साठ दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में

(1ए) किसी के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, किसी राज्य का वाणिज्यिक प्रभाग।

उच्च न्यायालय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील कर सकता है

निर्णय या आदेश:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII के तहत इस अधिनियम और अधिनियम की धारा 37 द्वारा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)।

वी. टी. महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

(2) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई अपील नहीं

वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री से निहित होगा अन्यथा के अनुसार

इस अधिनियम के प्रावधान।

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, किसी निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे पर अपने आवेदन में, इस तरह से संशोधित होंगे: अनुसूची में निर्दिष्ट।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे के मुकदमे में इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का पालन करेंगे।

(3) जहां राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई प्रावधान या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के साथ टकराव में है, वहां इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रबल होंगे। " 21. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा उस समय लागू किसी भी कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद।

" अनुसूची

4. पहली अनुसूची का संशोधन। संहिता की पहली अनुसूची में,

21] 3 एस सी आर।

(घ) आदेश VIII में,-(i) नियम 1 में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित

परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

ऐसे खर्चों के बारे में जो न्यायालय उचित समझे, लेकिन जो समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद नहीं होंगे और समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित बयान की अनुमति नहीं देगा रिकॉर्ड में लिया जाए "। . "

23. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37, जब इसकी धारा 43 के साथ पढ़ी जाती है, तो यह स्पष्ट करता है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 37 के तहत दायर अपीलों पर लागू होंगे। यह हमें सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 पर ले जाता है, जो 90 दिनों और 30 दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अपील किसी अन्य अदालत से उच्च न्यायालय में है या अंतर-उच्च न्यायालय अपील। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 और सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) दोनों के आधार पर, उपरोक्त अपीलों पर लागू होगी। मामले के इस पहलू को रवींद्रन, जे. इन के सहमति वाले फैसले में निर्धारित किया गया है।

समेकित अंग्रेज़ी। (ऊपर), इस प्रकार है:

" 40. मुझे आगे सीमा के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने दें।

एक्ट करें। सीमा अधिनियम की धारा 3 में इस बात का प्रावधान है कि सीमा। इसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन, निर्धारित अवधि के बाद किया गया प्रत्येक मुकदमा, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन -

खारिज कर दिया गया हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि "का अर्थ है कि गणना की गई सीमा की अवधि

सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "। सीमा की अवधि का अर्थ है सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि। [उक्त अधिनियम की धारा 2 (जे) के अनुसार]। सीमा अधिनियम की धारा 29 बचत से संबंधित है। इसकी उप-धारा (2) जो प्रासंगिक है, नीचे दी गई है:

" 29. (2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए वी. टी. से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि, धारा 3 के प्रावधान

यदि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी सीमा की अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

कानून "।

उस अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए सीमा की अवधि, सिवाय इसके कि वह किस अवधि से अलग अवधि निर्धारित करना चाहता है सीमा अधिनियम में निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, धारा 43 सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को न्यायालय में और एसी अधिनियम के तहत मध्यस्थता दोनों कार्यवाहियों पर लागू करती है।

43. जहाँ सीमा अधिनियम की अनुसूची एक अवधि निर्धारित करती है किसी भी न्यायालय में अपील या आवेदनों के लिए सीमा, और विशेष

या स्थानीय कानून सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में अपील और आवेदन दायर करने का प्रावधान करता है।

21] 3 एस सी आर।

न्यायालय, लेकिन ऐसी अपीलों या आवेदनों के संबंध में सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं करता है, सीमा अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित सीमा की अवधि ऐसी अपीलों या आवेदनों पर लागू होगी और परिणामस्वरूप, धारा 4 से 24 के प्रावधान

भी लागू होगा। जहां विशेष या स्थानीय कानून किसी भी अपील या आवेदन के लिए निर्धारित करता है, सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि, तो धारा 29 (2) के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। उस स्थिति में, सीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि

विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा अवधि थी

सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा विहित, और विशेष कानून द्वारा अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक वे ऐसी विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। धारा 29 (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में निहित सिद्धांत दायर किए गए मुकदमों, अपीलों और आवेदनों पर लागू हों। विशेष या स्थानीय कानूनों के तहत भी एक अदालत में, भले ही वह सीमा की अवधि निर्धारित करता है जो निर्धारित की गई है

सीमा अधिनियम, उन प्रावधानों में से किसी भी या सभी को लागू करने के स्पष्ट बहिष्कार की सीमा को छोड़कर।

24. "विनिर्दिष्ट मूल्य" की परिभाषा और प्रावधानों को देखते हुए जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम उपरोक्त अपीलों पर लागू होता है।

इसकी धारा 10 और 13 में निहित, यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी है जब निर्दिष्ट मूल्य तीन लाख रुपये से कम राशि के लिए है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में निहित अपीलीय प्रावधान, सीमा के प्रयोजनों के लिए, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 द्वारा शासित किया जाएगा। श्री देशमुख का तर्क है कि किस अदालत द्वारा किसी मामले का फैसला किया जाता है, उसके आधार पर 30 या 90 दिनों की एक सीमा अवधि प्रदान की जाती है, जो मनमाने परिणाम की ओर ले जाती है, और इसलिए, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई समान अवधि को अपीलों को भी नियंत्रित करना चाहिए।

अस्वीकार कर दिया। यह तय किया जाता है कि सीमा की अवधि हमेशा कुछ हद तक मनमाना होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है कि उनका

सख्ती से पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बूटा माल बनाम। संघ का भारत, (1963) 1 एस. सी. आर. 70, इस न्यायालय ने मामले के इस पहलू को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" आम तौर पर, एक क़ानून के शब्दों को उनका सख्त व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए और न्यायसंगत विचार जगह से बाहर हैं, जीओवीटी।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

विशेष रूप से सीमा की अवधि को सीमित करने वाले कानून के प्रावधानों में मुकदमा दायर करना या कानूनी कार्यवाही करना। यह प्रिवी द्वारा निर्धारित किया गया था

नागेंद्रनाथ बनाम में दो निर्णयों में परिषद। सुरेश [आकाशवाणी (1932)] पी. सी. 165] और सामान्य दुर्घटना आग और जीवन आश्वासन

निगम लिमिटेड बनाम। जनमहम्मद अब्दुल रहीम [आकाशवाणी (1941)]

पीसी 6]। पहले मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि

सीमा अवधि का निर्धारण हमेशा कुछ हद तक होना चाहिए।

मनमाना और अक्सर कठिनाई का कारण बन सकता है। लेकिन निर्माण में

ऐसे प्रावधान न्यायसंगत विचार स्थान से बाहर हैं, और शब्दों का सख्त व्याकरणिक अर्थ ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक है।

आयात कभी-कभी क़ानूनों के कारण बड़ी कठिनाई हो सकती है गरीबी, संकट और अधिकारों की अज्ञानता के मामलों में सीमा,

फिर भी वैधानिक नियमों को उनके सामान्य नियमों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए

इसका अर्थ इन में और इसी तरह के अन्य मामलों में "।

(पृष्ठ 74-75)

25. श्री देशमुख का दूसरा तर्क है कि चूंकि कोई अवधि नहीं है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में सीमा का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे, अपील और आवेदनों में निहित विभिन्न मामलों के सीमा अधिनियम में निहित स्पष्ट विभाजन को किसी तरह नष्ट करना होगा, "अपील" शब्द को "आवेदन" में पढ़ना होगा ताकि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू हो सके, जिसे भी खारिज कर दिया जाता है।

26. दुर्लभ स्थिति में भी जिसमें धारा 37 के तहत अपील की जाती है।

मध्यस्थता अधिनियम का निर्दिष्ट मूल्य तीन लाख रुपये से कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 या 117 लागू होंगे, विवादों के त्वरित समाधान की आवश्यकता वाले मध्यस्थता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा जिसे तब लागू किया जाना चाहिए जब सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर किए जाते हैं

90 अनुच्छेद 116 (ए) या 116 (बी) या 117 लागू होता है या नहीं, इस पर निर्भर करते हुए दिन और/या 30 दिन। वास्तव में, में निहित समयसीमा को देखते हुए

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8,9 (2), 11 (4), 11 (13), 13 (2)-(5), 29 ए, 29 बी, 33 (3)-(5) और 34 (3) और इस न्यायालय की कुछ धाराओं में की गई टिप्पणियां।

निर्णय, विवादों के त्वरित समाधान का उद्देश्य सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 के अंतर्गत आने वाली अपीलों को नियंत्रित करेगा।

27. भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। लोकप्रिय निर्माण कंपनी,

(2001) 8 एस. सी. सी. 470 ने इसे इस प्रकार रखा:

1] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 14. यहाँ 1996 के अधिनियम का इतिहास और योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत निर्धारित समय-सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा पूर्ण और विस्तार योग्य नहीं है। मध्यस्थता और सुलह विधेयक, 1995, जो 1996 के अधिनियम से पहले था, ने अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में "मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने" की आवश्यकता को बताया [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा 4 (v)]। यह उद्देश्य को अधिनियम की धारा 5 में अभिव्यक्ति मिली है जो बिना किसी अनिश्चित शब्दों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा निर्धारित करती है:

" 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। इसके बावजूद तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कोई भी बात, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई न्यायिक प्राधिकारी नहीं करेगा।

इस भाग में जहां इस प्रकार का उपबंध किया गया है, उसके अलावा हस्तक्षेप करें। "

15. धारा 5 में निर्दिष्ट "भाग" 1996 के अधिनियम का भाग I है जो घरेलू मध्यस्थता से संबंधित है। धारा 34 भाग I में निहित है और इसलिए यह व्यापक निषेध के अधीन है।

1996 के अधिनियम की धारा 5 में निहित है।

28. इसी तरह, गोवा राज्य बनाम। वेस्टर्न बिल्डर्स, (2006) 6 एस. सी. सी. 239, इस न्यायालय ने यह कहते हुए कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होंगे, अभिनिर्धारित किया:

" 25. ..... यह सच है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का उद्देश्य वाणिज्यिक मुद्दों को तेजी से निपटाना था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक सुधारों को मान्यता देने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। ताकि देश की आर्थिक प्रगति में तेजी लाई जा सके।

29. कांडला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (ऊपर) के फैसले में यह भी कहा गया है:

" 27. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। दोनों कानूनों के उद्देश्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता स्वयं पक्षों के बीच विवादों का त्वरित समाधान है। समान रूप से, यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यावसायिक रूप से एक समान भागीदार के रूप में बने रहना है, तो

विदेशी पुरस्कारों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन का कारण यह है कि

अधिक मात्रा में धन से जुड़े वाणिज्यिक विवाद वी. टी. होने चाहिए।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

जल्दी से फैसला किया। दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों को देखते हुए, यदि हम एक अतिरिक्त अपील प्रदान करते हैं, जब धारा 50 विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के लिए एक अपील को समाप्त कर देती है, तो हम मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को उनके शीर्ष पर बदल देंगे। मान लीजिए, यदि भारत में लागू किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार में निहित राशि 1 करोड़ रुपये से कम थी, और एक एकल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पुरस्कार को लागू करना था, कोई अपील नहीं होगी। तथापि, यदि, समान तथ्य परिस्थितियों में, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का विदेशी पुरस्कार होना था, यदि अपीलकर्ता सही हैं, तो वाणिज्यिक अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील प्रदान करके इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन में और देरी होगी।

न्यायालय अधिनियम। ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगी। 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का त्वरित समाधान। इस कारण से भी, हम महसूस करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) का अर्थ अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुसार लगाया जाना चाहिए। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे विदेशी पुरस्कार को तेजी से लागू करने के बजाय और देरी होगी, इसलिए, छोड़ दिया जाए। यहां तक कि सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत को लागू करने पर भी

दोनों कानूनों का निर्माण, यह स्पष्ट है कि वे सबसे अच्छे हैं

विशेष क़ानून अर्थात मध्यस्थता अधिनियम, बनाम अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, को मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया है।

30. आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का हालिया निर्णय।

राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, (2019) 4 एससीसी

कहते हैं:

लिमिटेड [सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2017) 2 एससीसी 228: (2017) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 593], यह न्यायालय

आयोजित: (एस. सी. सी पी. 250, पैरा 39)

" 39. भारत संघ में v. यू. पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लि. [भारत संघ बनाम। यू. पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड, (2015) 2 [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीसी 52: (2015) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 732] इस न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार कर लिया [इंदु मल्होत्रा, ओ. पी. मल्होत्रा मध्यस्थता और सुलह के कानून और व्यवहार पर (तीसरा संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स, 2014)।] कि ए एंड सी अधिनियम के चार मूलभूत स्तंभ हैं और फिर रिपोर्ट के पैरा 16 में कहा गया है कि: (एस. सी. सी पी. 64)

'16 . पहले स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत 'एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष, त्वरित और सस्ती सुनवाई' है। अनावश्यक देरी या खर्च बहुत ही निराश करेगा

मध्यस्थता का उद्देश्य।

9999

31. इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम की योजना के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों से, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ किया जाता है।

सीमा अधिनियम को विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

32. हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालय में अधिकांश अपीलें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 13 द्वारा शासित होती हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1ए) अपील के लिए मंच प्रदान करती है और साथ ही साथ पालन की जाने वाली सीमा अवधि भी प्रदान करती है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सीमा अधिनियम की तुलना में एक विशेष कानून है। सामान्य कानून, जो सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) को पढ़ने के बाद आता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) मध्यस्थता की धारा 37 के तहत पसंद की जाने वाली सभी अपीलों के लिए समान रूप से 60 दिनों की सीमा की अवधि निर्धारित करती है।

33. परेशान करने वाला सवाल जो हमारे सामने है वह यह है कि क्या, पहले और

सबसे पहले, सीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुप्रयोग को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की योजना द्वारा बाहर रखा गया है, जैसा कि डॉ. जॉर्ज द्वारा तर्क दिया गया है। ध्यान देने योग्य पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के समान कोई प्रावधान नहीं है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) केवल निर्णय या आदेश की तारीख से 60 दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान करती है, जिसके खिलाफ अपील की जाती है, बिना यह जाने कि क्या इस अवधि से आगे की देरी को माफ किया जा सकता है या नहीं।

34. यह भी बताया जा सकता है कि हालाँकि अपीलों के शीघ्र निपटारे का उद्देश्य वाणिज्यिक न्यायालयों की धारा 14 में निर्धारित किया गया है।

1 1 जैसा कि बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी में आयोजित किया गया है। एन. एच. पी. सी., (2020) 4 एस. सी. सी. 234, जबकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 अपील करने का मूल अधिकार प्रदान करती है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 अपील को नियंत्रित करने के लिए मंच और प्रक्रिया प्रदान करती है (पैराग्राफ 13 देखें)।

जीओवीटी। महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

अधिनियम, धारा 14 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बोली जाने वाली छह महीने की अवधि निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 को उसकी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है और सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 1 में किया गया संशोधन यह स्पष्ट करेगा कि एक मुकदमे में प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, जो अवधि समन की सेवा की तारीख से 120 दिनों से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है; और उक्त अवधि की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दायर करने का अधिकार खो देता है और अदालत लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दे सकती है। यह प्रावधान सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में इस न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। (II) v. भारत संघ, (2005) 6 एस. सी. सी. 344।

35. इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. के. एस. चमनकर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड, (2019) 12 एस. सी. सी. 210, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने उपरोक्त संशोधन और इसकी कठोर और तेज प्रकृति को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 8. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 संहिता में कुछ संशोधनों को ध्यान में रखते हुए 23-10-2015 पर लागू हुआ। सिविल प्रक्रिया। आदेश 5 नियम 1, उप-नियम (1) में, दूसरे के लिए

परंतुक, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया गया था:

" बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहता है, उसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले खर्चों के भुगतान पर लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जो समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद और एक की समाप्ति पर नहीं होगी।

समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और अदालत लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगी।

समान रूप से, आदेश 8 नियम 1 में, एक नए परंतुक को प्रतिस्थापित किया गया था

निम्नलिखित है:

" बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहता है, उसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे अन्य दिन लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जाएगी, जो अदालत द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

और ऐसी लागतों के भुगतान पर जो न्यायालय उचित समझता है, लेकिन जो

समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और अदालत लिखित बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने देगी।

आदेश 8 नियम 10 सी. पी. सी. में एक और प्रावधान को फिर से जोड़कर इस पर फिर से जोर दिया गया, जो इस प्रकार है:

" 10. प्रक्रिया जब पक्ष अदालत द्वारा बुलाए गए लिखित बयान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है। - जहां कोई भी पक्ष जिससे नियम 1 या नियम 9 के तहत लिखित बयान की आवश्यकता होती है, वह अदालत द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, उसे पेश करने में विफल रहता है, तो अदालत उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी, या मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देगी जो वह उचित समझे और ऐसे फैसले की घोषणा पर एक डिक्री तैयार की जाएगी।

ऊपर:

बशर्ते कि कोई भी अदालत लिखित बयान दाखिल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के तहत दिए गए समय को बढ़ाने का आदेश नहीं देगी।

इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि आम तौर पर 30 दिनों की अवधि के भीतर एक लिखित बयान दाखिल किया जाना है। हालांकि, अनुग्रह

9. बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति [बिहार राज्य बनाम। बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति, (2018) 9 एससीसी 472: (2018) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 387], एक सवाल उठाया गया था कि क्या 2016 के संशोधन अधिनियम 3 द्वारा अंत:स्थापित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (5) अनिवार्य या निर्देशिका है। उक्त निर्णय के पैरा 11 में, इस न्यायालय ने कैलाश बनाम का उल्लेख किया। नन्हकू

[कैलाश वी. नन्हकू, (2005) 4 एस. सी. सी. 480], वी. टी. के पाठ का उल्लेख करते हुए।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

आदेश 8 नियम 1 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन से पहले था। इसने (पैरा 12 में) सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन का भी उल्लेख किया। (2) वी. भारत संघ [सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (2) वी. भारत संघ, (2005) 6 एस. सी. सी. 344], जो कैलाश की तरह [कैलाश बनाम। नन्हकू, (2005) 4 एस. सी. सी. 480] के निर्णय में कहा गया है कि आदेश 8 नियम 1 में केवल "होगी" अभिव्यक्ति प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाएगी। इसके बाद इस न्यायालय ने राज्य बनाम के पैरा 17 में चर्चा की। एन. एस. ज्ञानेश्वरन [राज्य बनाम। एनएस.

ज्ञानेश्वरन, (2013) 3 एस. सी. सी. 594: (2013) 3 एससीसी (सीआरआई) 235: (2013) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 688], जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (2) को निर्देशिका माना गया था क्योंकि

धारा का उल्लंघन होने पर परिणाम प्रदान किया गया था। पैरा 22 में धारा 34 के विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29-ए निर्धारित की गई थी। इस न्यायालय ने तब पैरा 23 में निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया: (बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति मामला [बिहार राज्य बनाम। बिहार

राज्य भूमि विकास बैंक समिति, (2018) 9 एससीसी 472: (2018) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 387], एस. सी. सी. पी. 489)

" 23. इस प्रावधान से यह देखा जाएगा कि धाराओं के विपरीत

34 (5) और (6), यदि कोई पुरस्कार धारा में निहित निर्धारित या विस्तारित अवधि से परे किया जाता है, तो

मध्यस्थ को समाप्त करने का आदेश स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। यह प्रावधान धारा 34 (5) और (6) के बिल्कुल विपरीत है, जहां, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने की अवधि बीत चुकी है, तो कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। यह एक और संकेत है कि

एक ही संशोधन अधिनियम, जब इसमें समय अवधि प्रदान की गई थी

अलग-अलग परिस्थितियों में, अलग-अलग परिणामों के इरादे से ऐसा किया।

10. संशोधित आदेश 8 नियम 1 पर उच्च न्यायालय के कई फैसलों ने अब यह अभिनिर्धारित किया है कि लिखित बयान दाखिल न करने के परिणाम को देखते हुए, सी. पी. सी. के संशोधित प्रावधानों को

अनिवार्य माना जाता है। ओकू टेक (पी) लिमिटेड बनाम देखें। संगीत अग्रवाल [ओकू टेक (पी) लिमिटेड बनाम। संगीत अग्रवाल, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6601] दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2015 के सी. एस. (ओ. एस.) संख्या 3390 में दिनांक 11 8-2016 के रूप में कई अन्य निर्णयों के बाद माजा कॉस्मेटिक्स बनाम में दिल्ली उच्च

न्यायालय के एक फैसले सहित। ओएसिस कमर्शियल (पी) लिमिटेड [माजा कॉस्मेटिक्स बनाम। ओएसिस कमर्शियल (पी) लिमिटेड, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6698] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

11. हमारा विचार है कि इन निर्णयों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही है कि लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खोने का परिणाम;

किसी भी समय का विस्तार नहीं करना; और यह तथ्य कि न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा, इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि आदेश 8 नियम 1 पर आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने पर पहले का कानून अब निर्धारित किया गया है।

शून्य में "।

36. इसके विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। होंगो में फैसला

(सुप्रा), जिस पर डॉ. जॉर्ज ने दृढ़ता से भरोसा किया था, स्पष्ट रूप से अलग है। होंगो (ऊपर) में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35-एच में उच्च न्यायालय में संदर्भ आवेदन दायर करने के लिए 180 दिनों की अवधि का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की योजना को फैसले के पैराग्राफ 15 में जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है:

" 15. हम पहले ही बता चुके हैं कि आयुक्त को अपील करने के मामले में, धारा 35 60 दिनों का समय प्रदान करती है और इसके अलावा, आयुक्त के पास 30 दिनों तक की देरी को माफ करने की शक्ति है, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है। इसी तरह, धारा 35 बी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान करती है और उसमें उप-धारा (5) अपीलीय न्यायाधिकरण को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर दिनों की संख्या के बावजूद देरी को माफ करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह, धारा 35-ई. ई. जो केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान करती है और उसी के लिए परन्तुक पुनरीक्षण प्राधिकरण को 90 दिनों की और अवधि के लिए देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, जबकि धारा 35-जी के तहत उच्च न्यायालय में अपील के मामले में और

अधिनियम की धारा 35-एच के तहत उच्च न्यायालय के संदर्भ में, अपील और संदर्भ के उपचार का लाभ उठाने के लिए कुल 180 दिनों की अवधि का प्रावधान किया गया है। हालांकि, 180 दिनों की अवधि के बाद देरी को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त बनाने वाला कोई और खंड नहीं है।

37. इसके बाद न्यायालय ने कहा:
" 33. अन्यथा भी, आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के साथ-साथ केंद्र सरकार को संशोधन करने के लिए, दूसरी ओर, विधायिका ने अपील और संदर्भ वी. टी. दायर करने के लिए क्रमशः 60 दिन और 90 दिन का समय दिया है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जी. आर. वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

उच्च न्यायालय को 180 दिनों की बड़ी अवधि प्रदान की गई है ताकि आयुक्त और अन्य पक्ष इसका लाभ उठा सकें। हमारा विचार है कि विधायिका ने उच्च न्यायालय में निर्देश दायर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया है, जो अपील और संशोधन के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है।

34. हालांकि, धारा 29 के आधार पर एक तर्क उठाया गया था

सीमा अधिनियम, यह मानते हुए भी कि धारा 29 (2) होगी

आकर्षित करते हुए, हमें जो निर्धारित करना है वह यह है कि क्या इस धारा के प्रावधानों को उच्च न्यायालय के संदर्भ के मामले में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

35. हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" शब्दों का अर्थ यह होगा कि एक स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए

विशेष या स्थानीय कानून में उस सीमा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के लिए बनाया गया है जिसके संचालन को बाहर रखा जाना है। इस संबंध में, हमें विशेष कानून की योजना को देखना होगा जो इस मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम है। उसमें दिए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधायिका का इरादा था कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता हो जो अकेले उसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करे। यदि, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदान किए गए लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में सहायता के लिए नहीं लिया जा सकता है। हमारा सुविचारित विचार यह है कि ऐसे मामले में भी जहां विशेष कानून सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा बाहर नहीं करता है, फिर भी यह इन प्रावधानों के लिए खुला रहेगा:

यह जाँचने के लिए कि क्या और किस हद तक, उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है। दूसरे शब्दों में, इसलिए सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को सीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं, बल्कि संदर्भ आवेदन दाखिल करने से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों से आंका जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय तक।

36. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की योजना का समर्थन करता है

यह निष्कर्ष निकालना कि उच्च न्यायालय को निर्देश देने के लिए धारा 35-एच (1) के तहत निर्धारित समय-सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा पूर्ण और विस्तार योग्य नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि विधायी इरादे [2021] 3 एस. सी. आर. का सम्मान करना अदालत का कर्तव्य है।

और उदार व्याख्या देकर, सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करके।

38. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की योजना के विपरीत

में

विलंब प्रावधान जो या तो खुला-समाप्त या सीमित है। इसके अलावा, प्रदान की गई 180 दिनों की अवधि एक संकेत था जिसके कारण न्यायालय ने इसे बाहर कर दिया। सीमा अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग, क्योंकि यह उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत अपील के लिए प्रदान की गई अवधि से दोगुना और तिगुना था। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए), इसके विपरीत, अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की मध्यवर्ती अवधि लागू करती है, जो सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 द्वारा प्रदान की गई 30 दिनों और 90 दिनों के बीच की अवधि है।

39. डॉ. जॉर्ज द्वारा जिन अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे सभी हैं

यह इस मायने में अलग है कि वे ऐसे निर्णय हैं जो उन प्रावधानों से संबंधित हैं जो सीमा की अवधि और देरी की माफी की अवधि का प्रावधान करते हैं, जिसके बाद देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बिजली अधिनियम की धारा 125। (सूर्यचक्र पावर कार्पोरेशन को देखें। लिमिटेड वी. विद्युत विभाग। , (2016) 16 पैराग्राफ 10 पर एस. सी. सी. 152; ओ. एन. जी. सी. बनाम। गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम। लिमिटेड, (2017) पैराग्राफ 5-10 पर 5 SCC 42)।

40. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 पर भी बल दिया गया।

यह कहते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में निहित गैर-अवरोधक खंड सीमा अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों पर हावी होगा, जिसके परिणामस्वरूप, इसकी धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाएगा। इस तर्क को बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम में आई. बी. सी. के संदर्भ में संबोधित किया गया है। पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स, (2019) 11 एस. सी. सी. 633, निम्नानुसार है:

" 41. श्री ढोलकिया ने तर्क दिया कि संहिता अपने आप में पूर्ण है,

सीमा अधिनियम जैसे घुसपैठिये को भी बंद किया जाना चाहिए

संहिता की धारा 238 का अनुप्रयोग जो प्रदान करता है कि, " इसमें कुछ भी असंगत होने के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून ", संहिता के प्रावधान इस तरह के कानूनों को ओवरराइड करेगा। वास्तव में, संहिता की धारा 60 (6)

विशेष रूप से निम्नलिखित के रूप में कहता है:

" 60. निगमित व्यक्तियों के लिए निर्णय प्राधिकरण। — (1)

* * *

जीओवीटी। महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

(6) सीमा अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

1963 (36 1963) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, वह अवधि जिसके दौरान ऐसी अधिस्थगन लागू है -

बहिष्कृत "।

यह प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक होता यदि

सीमा अधिनियम को अन्यथा संहिता के अपने आप में पूर्ण होने के कारण या संहिता की धारा 238 के आधार पर बाहर रखा गया था।

कोड। कंपनी अधिनियम की धारा 433 के साथ-साथ संहिता की धारा 238-ए दोनों ही सीमा अधिनियम के प्रावधानों को "जहां तक हो सके" लागू करती हैं। जाहिर है, इसलिए, जहां संहिता में सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, ये अवधि लागू होंगी।

सीमा अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। इससे ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। इसलिए यह तर्क भी होना चाहिए

अस्वीकार कर दिया। "

41. इन सभी कारणों से हम श्री जॉर्ज द्वारा दिए गए इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की योजना को देखते हुए सीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुप्रयोग को बाहर रखा गया है।

42. अगला महत्वपूर्ण तर्क जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा एन. वी. में कठोर और तेज़ नियम लागू किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय (ऊपर) कानून में सही है। सबसे पहले, जैसा कि श्री श्रोती द्वारा सही तर्क दिया गया है, एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और इस संबंध में कहा जा सकता है। दूसरा, यह भी ध्यान रखना सही है कि 90 दिनों और 30 दिनों की अवधि और जिसके बाद मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) में उल्लेख नहीं किया गया है, अब लागू नहीं हो सकती है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 60 दिन है और 90 दिन नहीं। तीसरा, यह तर्क कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में प्रदान की गई अवधि से परे देरी की माफी को कम करने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 34 (3) के अंतिम भाग को मध्यस्थता की धारा 37 में इस तरह से शारीरिक रूप से उठाया जाना।

अधिनियम भी अनुचित होगा। हम श्री नवारे के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि यह केवल एक आकस्मिक चूक है जिसे न्यायालय द्वारा भरा जा सकता है।

21] 3 एस सी आर।

43. व्याख्या और विधान के बीच का अंतर है

कभी-कभी एक अच्छा निर्णय, जैसा कि बार-बार यह माना गया है कि न्यायाधीश केवल कानून की व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि कानून भी बनाते हैं। एरा वी में। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2017) 15 एस. सी. सी. 133, इस न्यायालय का सामना किया गया था

यौन से बच्चों के संरक्षण की धारा 2 (1) (डी) की व्याख्या

अपराध अधिनियम, 2012। यह प्रावधान इस प्रकार है:

" (2) (1) ((घ) "बालक" से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है।

वर्षों से; "

44. न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 18 वर्ष की आयु न केवल शारीरिक आयु को संदर्भित करती है, बल्कि परिभाषित "बच्चे" की मानसिक आयु को भी संदर्भित कर सकती है। इसलिए इस न्यायालय को कानून की व्याख्या करने और कानून बनाने के बीच कठिनाई का सामना करना पड़ा। नरीमन, जे. के सहमत निर्णय ने इसे इस प्रकार रखा:

" 103. अपने विद्वान भाई के विद्वतापूर्ण निर्णय को पढ़ने के बाद, और उस निष्कर्ष पर पहुंचने पर उनके साथ पूरी तरह से सहमत होने के बाद,

शक्तियों के मोंटेस्कियन पृथक्करण सिद्धांत का महत्व

जहाँ न्यायपालिका को न्यायिक कानून के क्षेत्र से-विधायी कानून बनाने के क्षेत्र में-अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मैंने यह महसूस किया है

मेरा अपना कुछ शब्द जोड़ना आवश्यक है।

104. विद्वान न्यायमित्र श्री संजय आर. हेगड़े ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (डी) की व्याख्या में शामिल नहीं हो सकते हैं।

" इस तरह की व्याख्या के रूप में मानसिक आयु से परे होगी

" लक्ष्मण रेखा "-अर्थात, कानून को जोड़ना या उसमें संशोधन करना इस न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इस न्यायालय का कार्य कानून की व्याख्या करने तक सीमित है, और इस मामले

को देखते हुए, उन्होंने हमें कानून के स्पष्ट शाब्दिक अर्थ के खिलाफ नहीं जाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

105. चूंकि श्री हेगड़े का तर्क शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक खतरे को उठाता है, इसलिए पहले यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत, न्यायाधीश केवल कानून की घोषणा करते हैं; यह कानून बनाने के लिए विधायिकाओं पर है। यह कम से कम भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 245 के संयुक्त पठन पर स्पष्ट है, जो नीचे दिए गए हैं:

" 141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

वी. टी. महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

***

245. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार और

राज्यों की विधायिकाएँ। (1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल

राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाएँ। (2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन होगा।

(जोर दिया गया) 106. यह कि विधायिका कानून को "घोषित" नहीं कर सकती है, एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र में अंतर्निहित है। प्राप्तकर्ता के बिल, जो हुआ करते थे

इंग्लैंड में संसद द्वारा पारित, 18 वीं शताब्दी के बाद से कभी भी पारित नहीं किया गया है। विधायी निर्णय अभिशाप है। 1789 की शुरुआत में, अमेरिकी संविधान ने अनुच्छेद I धारा 9 (3) के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बिलों को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी घोषित कर दिया। विधायिका के मामले में ऐसा होने के कारण, प्रतिवाद यह है कि न्यायपालिका समान रूप से "बना" नहीं सकती है, लेकिन केवल कानून की "घोषणा" कर सकती है। कानून की घोषणा करते समय क्या न्यायाधीश कानून भी बना सकते हैं? ..... ”

45. सहमति देने वाले फैसले में कहा गया:

" 127. इस प्रकार अंग्रेजी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई और हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि "लक्ष्मण रेखा" को वास्तव में व्याख्या के कड़ाई से शाब्दिक नियम से दूर हेडन [हेडन मामला, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7ए के पुराने अंग्रेजी मामले के शासन में वापस ले जाने के लिए विस्तारित किया गया है: 76 ई. आर. 637], जहाँ न्यायालय को उद्देश्य, उद्देश्य, पाठ और

न्यायिक परिणाम पर पहुँचने से पहले किसी विशेष प्रावधान का संदर्भ। वास्तव में, पहिया पूरा चक्कर लगा चुका है। यह नियम के अनुसार शुरू हुआ जैसा कि 1584 में हेडन मामले में कहा गया था [हेडन मामले, (1584) 3 को प्रतिनिधि 7a 76 ER 637], जिसे तब 1800 के दशक के मध्य में प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित शाब्दिक व्याख्या नियम द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, और 400 से अधिक के संदर्भ में नियम को कुछ हद तक दोहराने के लिए वापस आ गया है।

कई साल पहले हेडन मामले में [हेडन मामले में, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a: 76 ई. आर. 637] "।

" 139. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के आलोक में समग्र रूप से अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि [2021] 3 एस. सी. आर. का इरादा।

अर्थात् वे व्यक्ति जिनकी शारीरिक आयु 18 वर्ष से कम है। न्यायपालिका ने कानून की व्याख्या करने की आड़ में लक्ष्मण रेखा को पार किया है या नहीं, यह निर्धारित करने का सुनहरा नियम वास्तव में है। क्या किसी न्यायाधीश ने किसी कानून के उद्देश्य के आलोक में केवल उन दोषों को दूर किया है जो उसे कानून में मिले हैं, या क्या उसने उस सामग्री को बदल दिया है जिससे अधिनियम बुना गया है। संक्षेप में, अंतर "है" और "चाहिए" के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक अंतर है। क्या न्यायाधीश स्वयं को विधायक के स्थान पर रखता है और खुद से पूछता है कि क्या विधायक का कोई निश्चित परिणाम का इरादा था, या क्या वह यह कहता है कि यह विधायक का इरादा रहा होगा और क्या वह सोचता है कि अगर वह विधायक होता तो क्या किया जाना चाहिए था। यदि बाद वाला, यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश तब कुछ जोड़ देगा

विधायक के कथित इरादे के माध्यम से कानून में जो कुछ भी है उससे अधिक और इसकी रचनात्मक व्याख्या से परे जाएगा।

स्वयं को कानून बनाने के लिए। यही वह बिंदु है जब न्यायाधीश लक्ष्मण रेखा को पार करता है और एक विधायक बन जाता है, यह बताते हुए कि कानून क्या है, इसके बजाय कानून क्या होना चाहिए।

46. अंततः, निर्णय ने निष्कर्ष निकालाः " 146. उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का अध्ययन

उसमें निहित प्रावधानों के साथ यह पता चलेगा कि

प्रभावित व्यक्ति की शारीरिक आयु जो भी हो, ऐसा व्यक्ति एक "विकलांग व्यक्ति" होगा जिसे

उक्त अधिनियम के प्रावधान। इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि

किसी भी उम्र के संदर्भ में जब व्यक्तियों की रक्षा करने की बात आती है

उक्त अधिनियम के तहत अक्षमताएँ।

147. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायक के चश्मे से देखने पर, हम इरादे और भाषा दोनों के लिए हिंसा करेंगे।

संसद अगर हम "मानसिक" शब्द को खंड में पढ़ें 2 (1) ((घ) 2012 अधिनियम। इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक लाभकारी/दंडात्मक कानून है, हम न्यायाधीशों के रूप में इसका विस्तार केवल संसद तक ही कर सकते हैं

इरादा और आगे नहीं। इसलिए, मैं अपने विद्वान भाई के निर्णय से सहमत हूं, जिसमें उनके द्वारा दिए गए निर्देश भी शामिल हैं।

उसे। ”

47. इस निर्णय में उल्लिखित 'लक्ष्मण रेखा' को देखते हुए, यह समझना मुश्किल है कि कैसे एक टोपी को न्यायिक रूप से एक टोपी पर उकेरा जा सकता है।

ओ. आर. वाई. प्रावधान जो तब एक से भी देरी को माफ करने पर रोक लगाता है टोपी को इतने उत्कीर्ण करें।

जीओवीटी। महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

48. हालाँकि, श्री जॉर्ज ने चंडी प्रसाद बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। जगदीश प्रसाद, (2004) 8 एस. सी. सी. 724 (पैराग्राफ में)

22) और डी. पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम। के. सतीश, (2008) 8 एस. सी. सी. 505 (पैराग्राफ 11 पर), वरिंदरा में निहित तर्क का समर्थन करने के लिए निर्माण (ऊपर) और एन. वी. इंटरनेशनल (ऊपर)। उन्होंने डी. पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम में निर्णय के पैराग्राफ 11 पर दृढ़ता से भरोसा किया। के. सतीश, (2008) 8 एससीसी 505, जो इस प्रकार है:

" 11. हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि जबकि दोषसिद्धि और सजा का फैसला 15-12-2005 पर पारित किया गया था, सिविल अदालत द्वारा 23-1-2006 पर मुकदमा चलाया गया था। आपराधिक अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में रुपये 2,00,000 जमा करने का निर्देश दिया था। इस तरह के आदेश पर निचली अदालत को विचार करना चाहिए था। इसके अलावा, एक डिक्री से अपील, मुकदमे की निरंतरता है। दीवानी न्यायालय पर शक्ति की सीमा को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या दीवानी अदालत पर संहिता की धारा 357 के संदर्भ में जमा की गई मुआवजे की राशि पर विचार करने का कोई कर्तव्य था सवाल "।

49. इस अनुच्छेद से, जो तर्क दिया जाना चाहा गया था वह यह था कि प्रारंभिक चरण में एक दीवानी न्यायालय पर शक्ति की सीमा को अपीलीय न्यायालय पर एक सीमा के रूप में पढ़ा जा सकता है, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में किया गया था। हमें डर है कि हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। यह सजा एक दीवानी मुकदमे में ब्याज के साथ 3 लाख 09 हजार रुपये की राशि के लिए पारित डिक्री के संदर्भ में दी गई थी, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि अपीलार्थी द्वारा आपराधिक कार्यवाही में 2 लाख 10 हजार रुपये की राशि पहले ही जमा की जा चुकी थी। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 (5) पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय" मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या बरामद की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के दीवानी मुकदमे में मुआवजा प्रदान करना। अदालत "स्पष्ट रूप से एक अपीलीय अदालत को भी शामिल करेगी। यह केवल इस संदर्भ में था कि अपीलीय न्यायालय द्वारा "ध्यान में रखे जाने" के कारण दीवानी न्यायालय पर शक्ति की सीमा का उपरोक्त अवलोकन किया गया था।

50. पी. राधा बाई बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर श्री जॉर्ज की निर्भरता। पी. अशोक कुमार, (2019) 13 एस. सी. सी. 445 (पैराग्राफ में)

36.2- 36.3) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) पर लागू होने पर अटूटता के सिद्धांत पर भी मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या इस सिद्धांत को शारीरिक रूप से उठाया जा सकता है और [2021] 3 एस. सी. आर.

एक अपील प्रावधान पर जिसका कोई कट-ऑफ पॉइंट नहीं है जिसके आगे देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।

इन सभी कारणों से, इन अपीलों में दिए गए स्पष्ट तर्कों को देखते हुए, हमारा विचार है कि एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) को गलत तरीके से तय किया गया है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

51. लेकिन, बात यहीं खत्म नहीं होती। यह प्रश्न अभी भी उत्पन्न होता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उन अपीलों पर लागू होती है जो एक समान 60-दिवसीय सीमा अवधि द्वारा शासित होती हैं। एक चरम पर, हमारे पास एन. वी. इंटरनेशनल (उपरोक्त) में निर्णय है जो 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की अनुमति नहीं देता है, और दूसरी चरम पर, हमारे पास एक खुला प्रावधान है जिसमें देरी की किसी भी राशि को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। यह इन दो चरम सीमाओं के बीच है कि हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है। 52. एक न्यायिक उपकरण जिसके साथ इस पाठ्यक्रम को चलाया जा सकता है, लैटिन मैक्सिम यू. टी. रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेत में निहित है। यह उक्ति थी

सी. आई. टी. वी. में प्रकाशित। हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57 निम्नानुसार है: 2.

" 14. एक ऐसे निर्माण से बचना होगा जो क़ानून को व्यर्थ कर देता है। किसी कानून या उसमें किसी भी अधिनियमन प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसे मैक्सिम यू. टी. आर. एस. मैजिस वलीयत क्वाम पेरेत में व्यक्त सिद्धांत पर प्रभावी और प्रभावी बनाया जाए, यानी एक उदार निर्माण को लिखित उपकरणों पर रखा जाना चाहिए, ताकि यदि संभव हो तो उन्हें बनाए रखा जा सके और इसके इरादे को लागू किया जा सके। दलों को। [ब्रूम्स लीगल मैक्सिम्स (10 वीं संस्करण), पी. देखें। 361 , क़ानूनों पर क्रेज़ (7 वीं संस्करण), पी। 95 और क़ानूनों पर मैक्सवेल

(11th Edn.), पी। 221.]

15. एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट निर्देश उस उद्देश्य को अप्राप्य नहीं बनाता है। (व्हिटनी वी. देखें। आई. आर. सी. [1926 एसी 37: 10 कर मामला 88: 95 एलजेकेबी 165: 134 एल. टी. 98 (एच. एल.)], पी. पर एसी। 52 सी. आई. टी. वी. में संदर्भित। एस. तेजा सिंह [ए. आई. आर 1959 एस. सी. 352: (1959) 35 आई. टी. आर. 408] और गुरसाहई सहगल बनाम।

सीआईटी [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062: (1963) 48 आई. टी. आर. 1])

16. अदालतों को उस निर्माण को अस्वीकार करना होगा जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल करें भले ही वहाँ हो सकता है

2 अशोक कुमार ठाकुर बनाम में पसायत, जे. द्वारा दी गई अलग राय का अनुसरण किया गया। भारत संघ, (2008) 6 एस. सी. सी. 1 (पैराग्राफ 333-334 देखें)।

वी. टी. महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो। (सैल्मन वी. देखें। डनकॉम्ब [(1886) 11 एसी 627: 55 एलजेपीसी 69: 55 एल. टी. 446 (पी. सी.)] पी. 634 , कर्टिस वी। स्टोविन [(1889) 22 क्यू. बी. डी. 513: 58 एलजेक्यूबी 174: 60 एस. तेजा सिंह मामले में निर्दिष्ट एल. टी. 772 (सी. ए.) [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352: (1959) 35 आईटीआर 408]।)

17. यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, जिसमें से संकीर्ण कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा,

हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस विचार के आधार पर कि संसद केवल इस उद्देश्य के लिए कानून बनाएगी, अधिक साहसिक निर्माण को स्वीकार करना चाहिए।

एक प्रभावी परिणाम लाना। (नोक्स वी. देखें। डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज़ [(1940) 3 सभी ईआर 549: 1940 एसी 1014:

109 एलजेकेबी 865: 163 एल. टी. 343 (एच. एल.)] जिसे पी. वी. में संदर्भित किया गया है। एनएसडब्ल्यू के लिए भूमि मंत्री [(1954) 3 सभी ईआर 514: (1954) 1 डब्ल्यूएलआर 1410 (पीसी)]।) उक्त मामलों में इंगित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा मोहन कुमार सिंघानिया बनाम में दोहराया गया था। भारत संघ

[1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 455: (1992) 19 एटीसी 881: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1] 18. कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण कानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके।

कानून।

19. न्यायालय को विधायिका के इरादे का पता लगाना चाहिए

न केवल उन खंडों पर ध्यान केंद्रित करना जिनका अर्थ लगाया जाना है

लेकिन संपूर्ण कानून के लिए; इसे खंड की तुलना कानून के अन्य भागों और उस व्यवस्था के साथ करनी चाहिए जिसमें खंड की व्याख्या की जानी है। (आर. एस. रघुनाथ बनाम देखें। कर्नाटक राज्य [(1992) 1 एससीसी 335: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 286: (1992) 19 एटीसी 507: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 81]) इस तरह के निर्माण से बचने की योग्यता है

किसी खंड के भीतर या उसके बीच असंगति या प्रतिकूलता

एक ही क़ानून की दो अलग-अलग धाराएँ या प्रावधान। एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव से बचना अदालत का कर्तव्य है। (सुल्ताना बेगम बनाम देखें। प्रेम चंद जैन [(1997) 1 एससीसी 373: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1006]।

20. जब भी ऐसा करना संभव हो, यह उन प्रावधानों को समझने के लिए किया जाना चाहिए जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ताकि वे सामंजस्य बना सकें। यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि संसद ने एक हाथ से वह दिया था जो वह दूसरे हाथ से ले गई थी।

21] 3 एस सी आर।

21. कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है

उनके बीच सुलह। इस प्रकार एक निर्माण जो कम हो जाता है "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" के प्रावधानों में से एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करना विनाश करना नहीं है।

53. मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 या 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) के साथ पढ़ा जाता है, तो मध्यस्थता अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य और संदर्भ

उपरोक्त कानून, समग्र रूप से पढ़े जाने पर, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपीलों का त्वरित निपटान है। सीमा अधिनियम की धारा 5 को उपरोक्त उद्देश्य के अनुरूप पढ़ने के लिए, यह आवश्यक है कि -

पता लगाएँ कि मध्यस्थता की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने के संदर्भ में "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है

एक्ट करें।

54. धारा 5 में निहित अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण"

सीमा अधिनियम अलग-अलग परिणाम देने के लिए पर्याप्त लोचदार है एक क़ानून के उद्देश्य और संदर्भ पर। इस प्रकार, अजमेर कौर बनाम। पंजाब राज्य, (2004) 7 एस. सी. सी. 381, यह न्यायालय, धारा के संदर्भ में।

11 (5) पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 का प्रावधान इस प्रकार है:

" 10.धारा 11 (5) के तहत किसी भी समय आवेदन दायर करने की अनुमति देने के विनाशकारी परिणाम होंगे। राज्य ने

सरकार जिसमें भूमि अधिशेष घोषित होने पर निहित होती है,

उसी का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। राज्य सरकार को भूमि का उपयोग करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि का उपयोग किया जाता है, वहां बाद में पारित आदेश का परिणाम इसे भूमि से विभाजित करना हो सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, इसका मतलब यह होगा कि राज्य में जो भूमि उत्परिवर्तित हो गई थी

1982 में सरकार और जिसे राज्य द्वारा आवंटित किया गया था

1983 में सरकार द्वारा तीसरे पक्ष को दिए जाने से तय स्थिति को फिर से खोलने के परिणामस्वरूप, तीसरे पक्ष को राज्य सरकार को भूमि वापस करने के लिए कहा जाएगा और बदले में राज्य सरकार को भूमि को विभाजित करना होगा। जमीन को बदले में जमींदार को वापस कर दिया जाएगा। यह कलेक्टर द्वारा भूमि मालिक के पास अधिशेष नहीं घोषित किए जाने का परिणाम होगा। ऐसी स्थिति की अनुमति देने का प्रभाव यह होगा कि भूमि प्रवाह की स्थिति में रहेगी। कोई अंतिमता नहीं होगी। बहुत ही वीटी।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। आबंटित व्यक्ति भूमि मालिकों के परिवार में मृत्यु और जन्म की स्थिति में विभाजित होने के डर से भूमि का उपयोग नहीं कर पाएगा। मृत्यु और जन्म ऐसी घटनाएँ हैं जो अवश्य घटित होती हैं। इसलिए, धारा 11 की उप-धारा (5) में एक समय-सीमा को पढ़ना उचित है। दिए गए तथ्यों में उचित समय की अवधारणा सबसे उपयुक्त होगी। एक आवेदन को उचित सीमा के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

समय। वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत पुनर्निर्धारण, कर्तार कौर की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद और उसके 6 साल से अधिक समय बाद किया गया था।

भूमि को अधिशेष घोषित करने का कलेक्टर का आदेश अंतिम हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप कानून के उद्देश्य को विफल करने के अलावा गंभीर अन्याय हुआ है, जिसे सामाजिक रूप से लाभकारी कानून के रूप में परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार हम मानते हैं कि दया सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत 21-6-1985 पर दायर पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन अत्यधिक देरी के आधार पर खारिज किया जा सकता था और कलेक्टर इसमें गलत थे।

11. उपरोक्त तर्क अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) के प्रावधान के अनुरूप है। उप-धारा (7) में इन शब्दों का उपयोग किया गया है "जहां अधिशेष क्षेत्र के बाद उत्तराधिकार खुला है या एकर कोनो भाग कलेक्टर द्वारा निर्धारित कयल गेल अछि। "कलेक्टर द्वारा निर्धारित" शब्दों का अर्थ होगा कि कलेक्टर का आदेश अंतिम रूप ले चुका है। पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही पर लागू किए गए पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धाराओं में अपीलों आदि से संबंधित प्रावधानों से पता चलता है कि

अपील या समीक्षा के मामले में सीमा नब्बे दिन है। कलेक्टर के दिनांक 30-9-1976 के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील जिसमें 3.12 हेक्टेयर भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था, 27-3-1979 पर खारिज कर दिया गया था। आदेश को अंतिम होने दिया गया क्योंकि इसे आगे चुनौती नहीं दी गई थी। इस प्रकार कलेक्टर द्वारा निर्णय 27-3-1979 पर अंतिम हो गया। इसे 6 साल से अधिक समय बीतने के बाद 23-7-1985 के आदेश द्वारा फिर से नहीं खोला जा सका। राजस्व अधिकारियों के समक्ष बाद की कार्यवाही झूठ नहीं बोली। 23-7-1985 दिनांकित आदेश गैर-अनुमानित है। इसलिए बाद की सभी कार्यवाहियां समाप्त हो जाती हैं। इस मुद्दे को फिर से नहीं खोला जा सकता था।

(जोर दिया गया)

55. ब्रह्मपाल बनाम में, घर के पास। राष्ट्रीय बीमा कंपनी, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1053, इस न्यायालय ने विशेष रूप से मध्यस्थता अधिनियम या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत वाणिज्यिक दावे दायर करने में देरी और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावों के बीच के अंतर को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 16. इस न्यायालय ने सबसे पहले यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को प्रदत्त ऐसे विवेकाधिकार के दायरे के निर्धारण के लिए ऐसी शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य की जांच की जानी चाहिए। [भैय्या को संदर्भित करें पुंजलाल भगवानदीन बनाम। डेव भागवतप्रसाद प्रभुप्रसाद, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 120; श्री प्रकाश चंद अग्रवाल बनाम। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, (1970) 2 एस. सी. सी. 806]। अधिनियम के उद्देश्य के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसी विवेकाधीन शक्ति अदालतों को पीड़ितों और उनके आश्रितों के अधिकारों को लागू करने के लिए प्रदान की जाती है। विधायिका का इरादा था कि न्यायालयों के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल न्याय तकनीकीताओं से प्रभावित न हो।

(जोर दिया गया)

“ 22.इसलिए, उपरोक्त प्रावधान एक लाभकारी कानून होने के कारण, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदार व्याख्या दी जानी चाहिए। पक्षों के मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकीताओं पर अनुचित जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दाखिल करने और पुनः दाखिल करने में देरी को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक दावों की तुलना में सख्ती से नहीं देखा जा सकता है। पी. राधा बाई बनाम। पी. अशोक कुमार, (2019) 13 एस. सी. सी. 445, जिसमें इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी पुरस्कार पर आपत्ति करने का अधिकार स्वयं उसमें निर्धारित सीमा अवधि के साथ काफी हद तक बाध्य है और यह केवल एक प्रक्रियात्मक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। वस्तुतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पूर्ण याचिका, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्धारित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए और 'उसके बाद नहीं'। न्यायालय उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए,

निम्नानुसार तर्क दिया गया है:

" 36.1 सबसे पहले, मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य एक त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया प्रदान करना था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि मध्यस्थता अधिनियम को लागू करने का विधायी उद्देश्य पक्षों को एक कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करना था जो वादियों को वी. टी. को कम करते हुए विवादों का त्वरित समाधान प्रदान करता है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

अदालतों पर बोझ। अनुच्छेद 34 (3) इस आशय को दर्शाता है जब यह

प्रारम्भ और समापन अवधि को परिभाषित करता है

एक पुरस्कार को चुनौती देना। लोकप्रिय निर्माण मामले में यह न्यायालय [भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470] ने निश्चित अवधि के महत्व पर प्रकाश डाला।

मध्यस्थता अधिनियम के तहत। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि

अंतिमता एक मौलिक सिद्धांत है जो इसके तहत निहित है अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम और किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक निश्चित समय-सीमा आवश्यक है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, तो 120 दिनों के बाद भी एक पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है। यह विवादों के त्वरित समाधान के मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। पुरस्कार की अंतिमता भी अधर में होगी क्योंकि एक दल पुरस्कार के बाद भी किसी पुरस्कार को चुनौती दे सकता है।

120 दिन की अवधि "।

(मूल में जोर)

" पर्याप्त कारण "। हालाँकि न्यायालयों के लिए देरी को माफ करने के लिए कोई स्ट्रैट जैकेट फॉर्मूला मौजूद नहीं है, लेकिन न्यायालयों को न केवल मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि पक्षों के आचरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तर्कसंगतता की अवधारणा यह निर्धारित करता है कि न्यायालयों को एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भी दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर विचार करना चाहिए। जब एक पक्ष की घोर लापरवाही और दूसरे के लापरवाह रवैये के कारण एक पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित हो जाता है, तो यह न्यायालय उपरोक्त विवेकाधीन राहत का प्रयोग करने से बचेगा।

25. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 45 दिनों की देरी को अपीलार्थियों द्वारा ठीक से समझाया गया है, जो अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी की बीमारी के कारण था। यह उचित नहीं था उच्च न्यायालय की ओर से केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर अपील को खारिज करने के लिए

21] 3 एस सी आर।

छोटी अवधि की देरी का आधार, विशेष रूप से मोटर दुर्घटना के दावों में मृत्यु से जुड़े मामलों में। इसके अलावा, वर्तमान मामले में नहीं नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद अपील दायर करने के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि विवादित क्रम में लिया गया सख्त दृष्टिकोण अति-तकनीकी है और कानून की नजर में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

56. मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, अर्थात त्वरित

विवादों का समाधान, अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" अपील प्रावधान द्वारा प्रदान की गई अवधि से परे लंबी देरी को कवर करने के लिए पर्याप्त लोचदार नहीं है। इसके अलावा, "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति स्वयं लापरवाही और पुराने दावों को दबाने के लिए एक ढीला रामबाण नहीं है। यह

न्यायालय, बसावराज बनाम। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81 ने कहा है:

" 9. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, क्योंकि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए यह शब्द

" पर्याप्त उस से अधिक नहीं है जो एक प्लैटिटचूड प्रदान करता है, जो जब कार्य किया जाता है तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। किसी मामले में विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों में अभिप्रेत, विधिवत

एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से जांच की गई। इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "लगन से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए ताकि संबंधित अदालत इस कारण से विवेक का प्रयोग कर सके कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल किसी अन्य

उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी। (मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कार्पोरेशन देखें। लिमिटेड वी. भूतनाथ बनर्जी [एआईआर 1964 एससी 1336], वीटी।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

माता दिन वी। ए. नारायणन [(1969) 2 एससीसी 770: ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1953], परिमल बनाम। वीणा [(2011) 3 एस. सी. सी. 545: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1150] और मनीबेन देवराज शाह बनाम। नगरपालिका

कॉर्प. बृहन्मुंबई [(2012) 5 एस. सी. सी. 157: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 24: ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1629]।) 10. अर्जुन सिंह बनाम। मोहिंद्र कुमार [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993] इस न्यायालय ने एक "अच्छे कारण" और एक "अच्छे कारण" के बीच के अंतर को समझाया।

" पर्याप्त कारण "और यह देखा कि प्रत्येक" पर्याप्त कारण "एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का पालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाए।

11. "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी नहीं हो सकती है।

संबंधित पक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि क्या पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र संभव नहीं है। (मदनलाल बनाम। श्यामलाल [(2002) 1 एससीसी 535: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 100] और रामनाथ

साओ वी। गोबरधन साओ [(2002) 3 एस. सी. सी. 195: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1201])

12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। " किसी वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानती है। वैधानिक प्रावधान कारण बन सकता है किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा होती है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कानूनी उक्ति डयूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति, इसके उद्देश्य पर आधारित है।

समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो उत्तेजित नहीं हुए हैं।

अस्पष्ट रूप से और समय के साथ बासी हो जाते हैं। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, वॉल्यूम। 28 , पी। 266 :

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 605. सीमा अधिनियमों की नीति। अदालतों ने

समर्थन में कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए गए

सीमाओं की विधियों का अस्तित्व, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि प्रतिवादी ने किसी पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया हो, और (3) कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए।

उन्हें उचित परिश्रम के साथ। "

एक असीमित सीमा असुरक्षा की भावना को जन्म देगी और

अनिश्चितता, और इसलिए, सीमा लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या बाधाओं से खो गया हो सकता है, उसे परेशान करने या वंचित करने से रोकती है। (पोपत और कोटेचा संपत्ति बनाम देखें। एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन [(2005) 7 एस. सी. सी. 510], राजेंद्र सिंह बनाम। सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी. 705 ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक

जालम पाटिल बनाम। जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448: (2009) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 907]।

14. पी. रामचंद्र राव बनाम। कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एससीसी 578: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 830: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1856] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को शामिल करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होगा। आर. एस. नायक

[(1992) 1 एससीसी 225: 1992 एससीसी (सीआरआई) 93: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1701]

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण। उसे सीमा के भीतर अदालत जाने से रोक दिया। ए के मामले में

पक्षकार को लापरवाही करते हुए पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपनी ओर से ईमानदारी की कमी के लिए, या लगन से कार्य नहीं करते हुए या निष्क्रिय रहते हुए पाया जाता है, तो देरी को माफ करने के लिए कोई उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को

लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वी. टी. पारित करने के बराबर है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआरवी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश और यह समान है

विधायिका की घोर अवहेलना करना। "

(जोर दिया गया)

57. इसी तरह, केवल इसलिए कि सरकार इसमें शामिल है, देरी को माफ करने के लिए किराए का पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह

पोस्टमास्टर जनरल v में स्पष्ट रूप से कहा गया है। लिविंग मीडिया इंडिया

(2012) 3 एस. सी. सी. 563 ["पोस्टमास्टर जनरल"], निम्नानुसार है:

" 27. यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ठीक थे।

शामिल मुद्दों के साथ जागरूक या बातचीत

इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके मामले को उठाने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि। वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग

अदालत से परिचित सक्षम व्यक्तियों के साथ था

कार्यवाही। प्रशंसनीय और स्वीकार्य के अभाव में

जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत को अपनाना होगा, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।

29. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया है, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों का यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। विलम्ब का निषेध एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए एक प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

सभी को एक ही रोशनी में आश्रय देते हैं और उन्हें घुमाया नहीं जाना चाहिए

कुछ लोगों के लाभ के लिए "।

58. पोस्टमास्टर जनरल (ऊपर) में निर्णय लिया गया है

इस न्यायालय के निम्नलिखित बाद के निर्णयों में कहा गया है:

(i)

राजस्थान राज्य बनाम। बाल किशन माथुर (2014) 1 एससीसी

592 पैराग्राफ 8-8.2 में; यू. पी. राज्य बनाम अमर नाथ यादव, (2014) 2 एस. सी. सी. 422

(ख)

अनुच्छेद 2-3;

iii)

राज्य टी. एन. वी. एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एससीसी 709 पैराग्राफ 11-13 पर; और

(iv)

एम. पी. बनाम राज्य भेरूलाल, (2020) 10 एस. सी. सी. 654

पैराग्राफ 3-4।

59. हाल के एक निर्णय में, अर्थात्, स्टेट ऑफ एम. पी. v. चैत्रम वाडे, (2020) 10 एस. सी. सी. 667, इस न्यायालय ने पोस्टमास्टर को संदर्भित किया

राल (सुप्रा), और निम्नानुसार आयोजित किया गया:

" 1. मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करना जारी रखता है और आचरण में सुधार नहीं किया जा सकता है। विशेष अनुमति याचिका 588 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। एमपी बनाम राज्य में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपील दायर करने में इस तरह की अत्यधिक देरी से निपटने का अवसर मिला। भेरूलाल [एम. पी. राज्य बनाम। भेरूलाल, (2020) 10 एस. सी. सी. 654]

2. हमने उस मामले में एक विस्तृत आदेश लिखा है और हम उसी तर्क को फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं सिवाय रिकॉर्ड करने के। जिन तथ्यों पर देरी को माफ करने की मांग की गई है, उन्हें क्या कहा गया है। 5-1-2019 पर, यह कहा गया है कि सरकारी अधिवक्ता से 13-11 2018 [चैत्रम मेवाडे बनाम. एमपी राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन

एच. पी. 1632] और विधि विभाग ने 26-5-2020 पर विवादित आदेश के खिलाफ एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी। इस प्रकार कानून

विभाग को यह तय करने में लगभग 17 महीने का समय लगा कि एसएलपी दाखिल करनी है या नहीं। इससे बड़ा प्रमाणपत्र क्या हो सकता है?

कानूनी विभाग के लिए अक्षमता होगी!

3. हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को वी. टी. के सुधार के पहलू पर गौर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। जीआर वी. मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

कानूनी विभाग जैसा कि यह प्रतीत होता है कि विभाग असमर्थ है किसी भी उचित अवधि के भीतर सीमा के भीतर बहुत कम अपील दायर करें। इस प्रकार के बहाने, जैसा कि पहले से ही दर्ज है

उपरोक्त आदेश, में निर्णय को देखते हुए अब स्वीकार्य नहीं हैं

पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड [पोस्टमास्टर] जनरल वी. लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 563: (2012) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 327: (2012) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580: (2012) 1 एससीसी (एल एंड एस)

649]

4. हमने अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि इस प्रकार के

बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मामले केवल "प्रमाण पत्र मामले" हैं।

सर्वोच्च न्यायालय से इस मुद्दे को शांत करने के लिए। इसका उद्देश्य उन अधिकारियों की त्वचा को बचाना है जो चूक में हो सकते हैं। हमारे पास है। उस स्थिति की विडंबना भी दर्ज की गई जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई

उन अधिकारियों के खिलाफ जो इन फाइलों पर बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं।

5. देरी की अवधि और जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन किया गया है, उसे देखते हुए न्यायिक समय की बर्बादी हुई है।

इसमें शामिल, हम याचिकाकर्ता राज्य पर 35,000 रुपये की लागत लगाते हैं

समिति। यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए। द. देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी (ओं) से राशि वसूल की जाए।

फाइलों को दाखिल करने और उन पर बैठने में और वसूली का प्रमाण पत्र उक्त राशि भी उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय में दाखिल की जाए

समय। हमने उप महाधिवक्ता को आगाह किया है कि इस तरह के किसी भी क्रमिक मामले के लिए लागत जारी रहेगी।

ऊपर जा रहे हैं।

60. साथ ही, यह भी याद रखना चाहिए कि केवल इसलिए कि पर्याप्त है

ई किसी दिए गए मामले के तथ्यों में बनाया गया है, इसमें कोई अधिकार नहीं है विलम्ब को क्षमा करने के लिए। यह सम्मानपूर्वक रामलाल वा कोलफील्ड्स लिमिटेड (1962) 2 एस. सी. आर. 762 में निम्नानुसार रखा गया था:

" हालाँकि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त होने के बाद भी कारण दिखाया गया है कि एक पक्ष माफी का हकदार नहीं है

अधिकार के रूप में प्रश्न में देरी। पर्याप्त का प्रमाण कारण विवेकाधीन के अभ्यास के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है

एस द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता। 5. यदि पर्याप्त कारण नहीं है

साबित हुआ कि आगे कुछ नहीं किया जाना है; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना है। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो न्यायालय को यह पूछताछ करनी होगी कि क्या वह अपने विवेकाधिकार में [2021] 3 एस. सी. आर. है।

देरी को माफ कर देना चाहिए। इस मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पक्ष की परिश्रम या उसकी ईमानदारी पर विचार किया जा सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगा जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक माने। यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी अपने पास उपलब्ध सभी समय के दौरान बेकार क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय आवेदनों पर विचार कर रहा हो तो ईमानदारी या उचित परिश्रम के विचार हमेशा सामग्री और प्रासंगिक होते हैं।

एस के तहत बनाया गया। 14 सीमा अधिनियम। ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय से एस. एस. के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है। 5 और 14. इसलिए, हमारी राय में, जिन विचारों को एस के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाया गया है। 14 उन आवेदनों से निपटने में समान सीमा तक और समान तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है जो केवल एस के तहत तय किए जाते हैं। 5 एस के संदर्भ के बिना। 14. "

(पृष्ठ 771)

61. उपरोक्त और त्वरित निपटान के उद्देश्य को देखते हुए

मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों के तहत प्राप्त करने के लिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपीलों के लिए जो सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) द्वारा शासित हैं, क्रमशः 90 दिनों, 30 दिनों या 60 दिनों से अधिक की देरी को अपवाद के रूप में माफ किया जाना है न कि नियम के माध्यम से। एक उपयुक्त मामले में जिसमें एक पक्ष ने अन्यथा अच्छा काम किया है

लापरवाही से नहीं बल्कि ईमानदारी से, ऐसी अवधि से आगे की एक छोटी सी देरी को अदालत के विवेक से माफ किया जा सकता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि

समानता और न्याय दोनों में अर्जित किया गया, जो अब पहले पक्ष की निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से खो सकता है।

62. हमारे समक्ष अपीलों के तथ्यों पर आते हुए, 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 665 से उत्पन्न दीवानी अपील में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले, दिनांक 17.12.2020 में पाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से संपर्क नहीं किया था, जो इस प्रकार है:

" 7. मैंने कागजों को ध्यान से देखा है। आवेदक जी. ओ. वी. टी. का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा दिए गए आवेदन की प्रति के रूप में दस्तावेजी साक्षय को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है।

महाराष्ट्र का (जल संसाधन विभाग) आर. ई. पी. EXEC द्वारा। ई. एन. जी. आर. बनाम मेसर्स बोर्स ब्रोस। ई. एन. जी. आर. & CONTR (P) Ltd. [आर. एफ. नरीमन]

एक प्रमाणित प्रति (प्रदर्शनी-आर 1) प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में, अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में निर्णय और आदेश की घोषणा के बाद, संबंधित अधिवक्ता ने 14.05.2019 पर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था। समर्थन आगे पढ़ता है कि

इसे सिंचाई विभाग के श्री ए. डी. पाटिल को सौंपा जाना था। विभाग, धुले, जो आवेदक के कार्यालय से एक कर्मचारी है। आगे के समर्थन यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रमाणित प्रतिलिपि

तैयार था और 27.05.2019 पर वितरित किया जाना था। [इस तरह के रुख और दस्तावेज के बावजूद, आवेदक ने इसका विरोध नहीं किया है या इस पहलू को छूते हुए कोई अन्य रुख नहीं रखा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आवेदक विलंब की माफी की विवेकाधीन राहत की मांग करते हुए भी अदालत में साफ हाथों से नहीं आ रहा है।

63. इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) के तहत अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की अवधि से परे 131 दिनों की लंबी देरी है। नाम के लायक कोई व्याख्या नहीं है। देरी आवेदन की माफी में निहित, सामान्य फ़ाइल धक्का और प्रशासनिक आवश्यकता से परे। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।

64. 2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 15278 से उत्पन्न दीवानी अपील में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय दिनांकित था।

कि एन. वी. इंटरनेशनल (उपर्युक्त) में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय का निर्णय समेकित इंजीनियरिंग के रूप में पूरी तरह से गलत है। (उपर्युक्त) एक निर्णय था जो सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करता था और इसका सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन से कोई लेना-देना नहीं था। एन. वी. इंटरनेशनल (उपर्युक्त) एक प्रत्यक्ष निर्णय था जो सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करता था और फिर यह अभिनिर्धारित करता था कि देरी की कोई भी क्षमा 120 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय एन. वी. का पालन करने के लिए बाध्य था।

अंतर्राष्ट्रीय (ऊपर), उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख तक, एन. वी. इंटरनेशनल (ऊपर) संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर उच्च न्यायालय को बाध्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय था। इस आधार पर, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय

अदालत को दरकिनार किया जाना चाहिए।

65. इसके अलावा, इस अपील के तथ्यों पर, वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई 60 दिनों की अवधि से परे 75 दिनों की लंबी देरी है।

एक्ट करें। इस तथ्य के बावजूद कि जिला न्यायालय के फैसले की एक प्रमाणित प्रति [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी द्वारा 27.04.2019 पर प्राप्त, अपील केवल दायर की गई थी

.09.2019 , विलम्बक कारण अछि:

" 2. कि, 01/04/2013 दिनांकित आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को 27/04/2019 पर प्राप्त हुई थी। इसके बाद मामला

के लिए सी. जी. एम. खरीद एम. पी. पी. के. वी. वी. सी. एल. से पहले रखा गया था

आदेश का पालन। फिर उसी को विधि अधिकारी के पास भेजा गया,

राय के लिए एमपीपीकेवीवीसीएल।

3. कि अपील के लिए राय लेने और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बाद, प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया था

दिनांकित आदेश 23/07/2019।

4. इसके बाद, मामले के भारी रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की खरीद के कारण कुछ देरी हुई है, हालांकि, अपील तैयार की गई है और इसके अनुसार दायर की गई है।

उसी और आगे देरी के लिए।

5. कि उपरोक्त प्रक्रियात्मक अनुमोदन के कारण और तब से

अपीलार्थी राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के तहत गठित एक सार्वजनिक संस्था है, जिसके कारण अपील दायर करने में देरी होती है प्रामाणिक और जो क्षमा किए जाने के योग्य हैं। "

66. यह व्याख्या किसी भी पर्याप्त को बनाने से बहुत कम है। इसलिए इस अपील की अनुमति है और देरी की माफी है

इस अंक पर भी विचार करें।

67. एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 18079 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपील दायर करने में 227 दिनों की भारी देरी है, और पुनः दाखिल करने में 200 दिनों की देरी है। इस मामले के तथ्यों से यह भी पता चलता है कि इतनी लंबी देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 15.10.2019 के आक्षेपित आदेश में गलती नहीं की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप इस अपील को खारिज कर दिया जाता है।

68. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपीलों का
निपटारा किया गया।

जैन